धींधवाल पब्लिकेशन

DHP-60

Dhindhwal Publication

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित

2nd ग्रेड
(द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

सामाजिक विज्ञान (S.St.)

राजनीति विज्ञान
POLITICAL SCIENCE

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित

डॉ. मंगल यादव
(Assistant Professor चयनित)

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

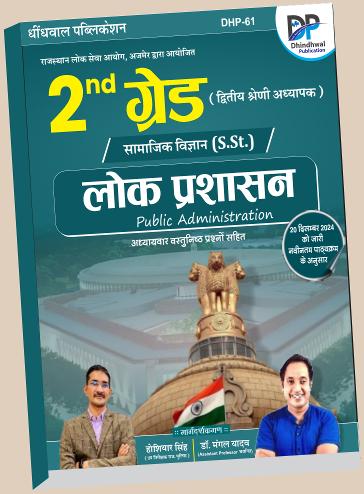

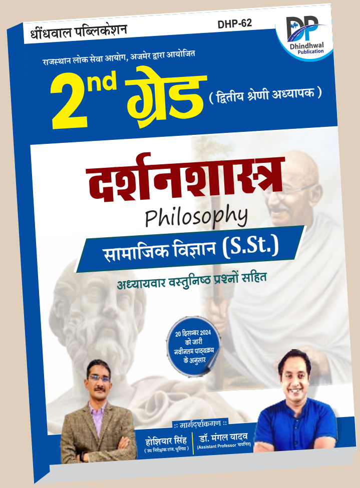

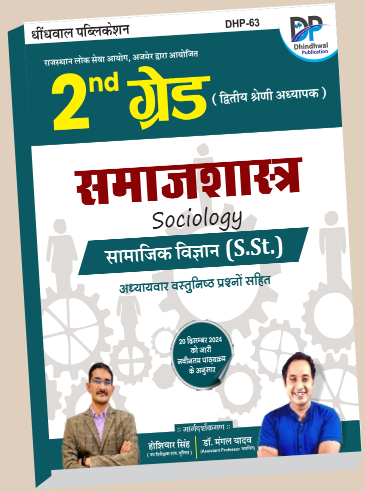

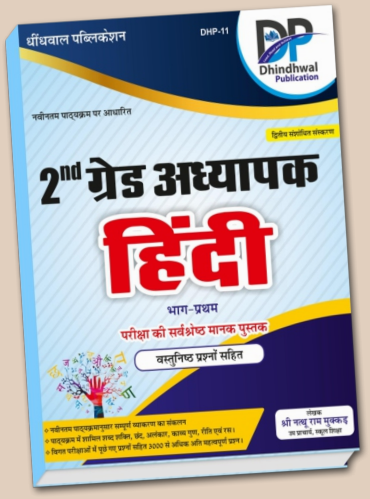

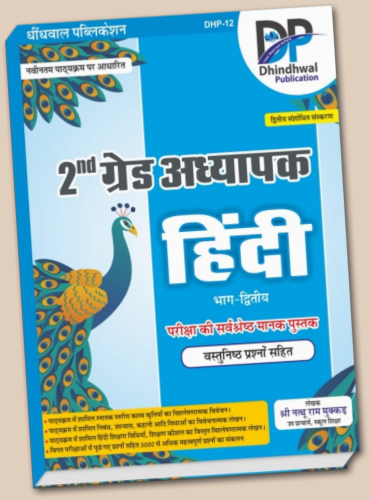

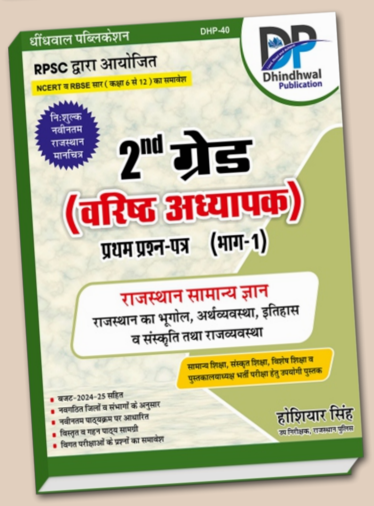

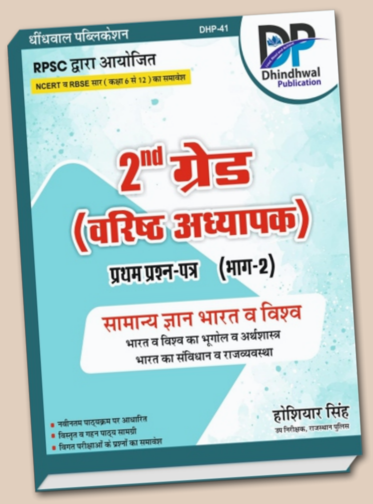

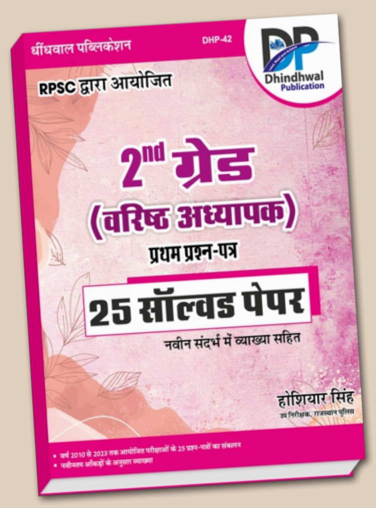

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

परीक्षा में सफलता हेतु इन पुस्तकों का अध्ययन करें

हमारे प्रकाशन की अन्य पुस्तकें

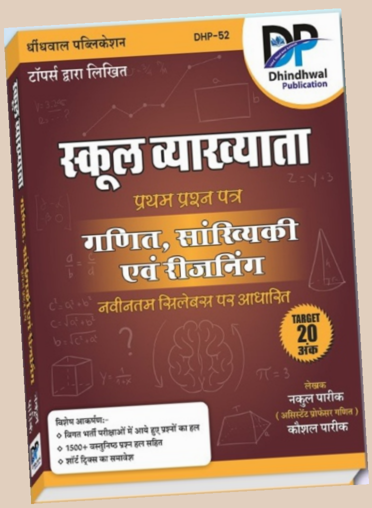

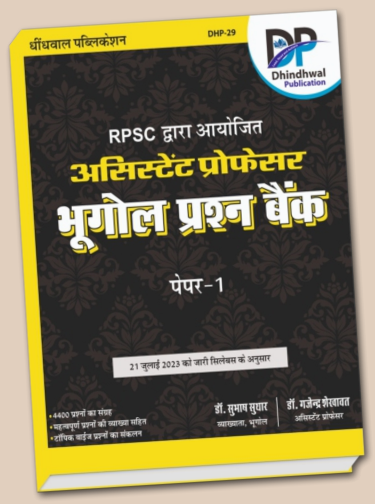

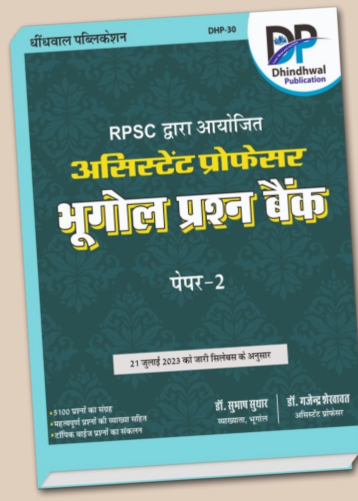

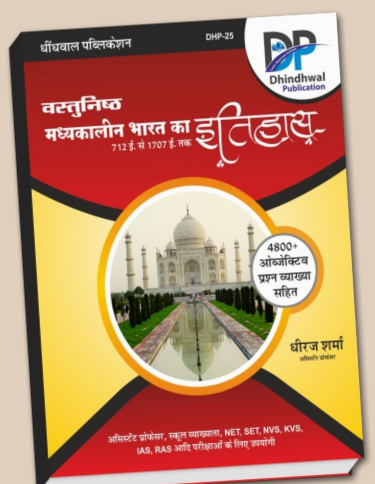

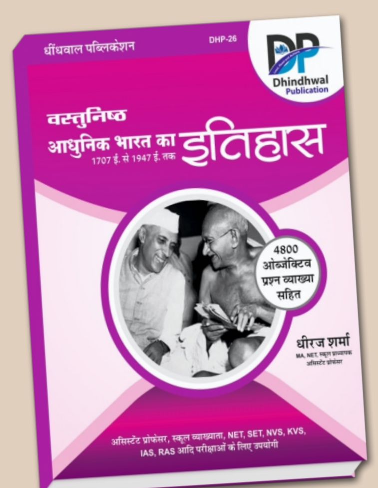

धींधवाल पब्लिकेशन

बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

: लेखक परिचय :

डॉ. मंगल यादव

(Assistant Professor चयनित)

डॉ. मंगल यादव का जन्म जयपुर जिला, राजस्थान में हुआ। आपने स्नातक करने के दौरान ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, इसी दौरान आप अनेक सरकारी सेवा में चयनित हुए। आपने राजस्थान की शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण विधियों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ''मंगल शिक्षण विधियाँ'' से लाखों विद्यार्थियों के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन व मार्गदर्शन का गहन अनुभव है।

हमारी अन्य पुस्तकें

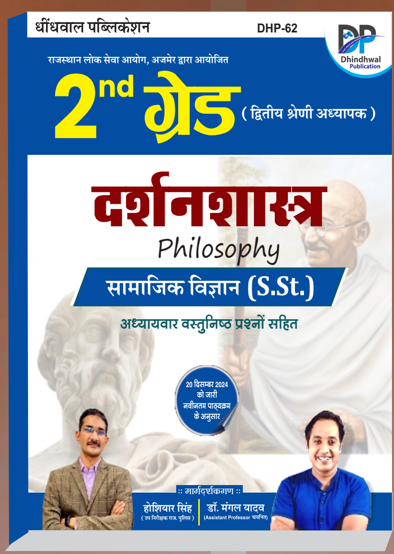

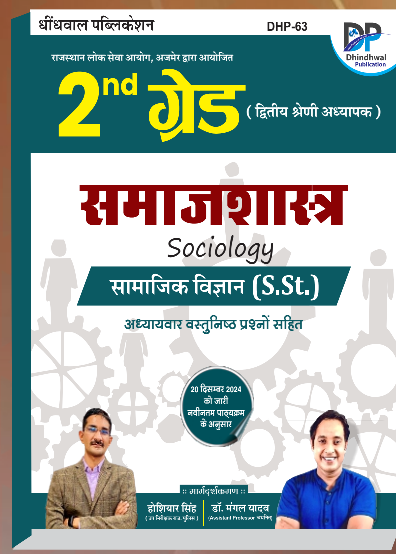

धींधवाल पब्लिकेशन
बी-22, वैष्णो विहार, बीकानेर मोबाइल : 8306733800

धींधवाल पब्लिकेशन

प्रस्तुत करते हैं–

Dhindhwal Publication

2nd ग्रेड (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

राजनीति विज्ञान
(Political Science)

सामाजिक विज्ञान (S.St.)

(अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित)

- प्रामाणिक विषय–वस्तु का संकलन।
- परीक्षाओं के नवीन पैटर्न के अनुसार गहन व व्यापक पाठ्यसामग्री का संकलन।
- आरेख, मानचित्र, सारणियों सहित रोचक प्रस्तुतीकरण।
- पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रत्येक अवधारणा को उदाहरण सहित समझाया गया है।

प्रकाशक:–

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो.– 8306733800

लेखक:– डॉ. मंगल

(असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित)

प्रकाशकः–

धींधवाल पब्लिकेशन

B-22, वैष्णो विहार, बीकानेर

मो. – 8306733800

– Dhindhwal Publication

– धींधवाल पब्लिकेशन

– Dhindhwal Classes

– @Publication-DP

– Dhindhwal Publication

बुक कोड– DHP- 60

© सर्वाधिकार– लेखक

फिक्स रेट– 181.00/–

मुद्रक–

पिंकसिटी ऑफसेट, जयपुर

इस पुस्तक के किसी भी अंश का लेखक तथा प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना मुद्रित करना, कराना तथा इस पुस्तक की व इस पुस्तक के किसी भाग की फोटोकॉपी, स्केनिंग, इलेक्ट्रोस्टेट, मशीनी टंकण अथवा किसी भी तरीके से पुनः उपयोग करना, पी.डी.एफ बनाकर वाट्सअप या टेलीग्राम आदि पर प्रसारित करना पूर्णतः वर्जित है।

इस पुस्तक को तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है पुस्तक में दिये गये तथ्य व विवरण उचित व विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं, फिर भी इसमें किसी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप रह जाना संभव है। अतः ऐसी किसी भी त्रुटि, गलती, कमी अथवा लोप के कारण हुई क्षति अथवा क्लेश के लिए लेखक, प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक, विक्रेता व कर्मचारीगण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। आप उपर्युक्त सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से पुस्तक खरीद रहे हैं अतः दायित्व आपका स्वयं का होगा। सभी प्रकार के परिवादों का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

2nd ग्रेड (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
	RPSC 2nd ग्रेड परीक्षा (राजनीति विज्ञान) में पूछे गये प्रश्न	1–2
1.	राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं प्रारंभिक व आधुनिक परिप्रेक्ष्य	3–11
2.	राज्य– प्रकृति, कार्य, सम्प्रभुता व बहुलवाद	12–24
3.	अधिकार	25–30
4.	स्वतंत्रता	31–36
5.	समानता	37–41
6.	न्याय	42–48
7.	शक्ति	49–50
8.	सत्ता/प्राधिकार	51–53
9.	वैधता	54–58
10.	संविधान परिचय	59–65
11.	संविधान की विशेषताएँ	66–69
12.	मौलिक अधिकार	70–81
13.	नीति निदेशक तत्व	82–89
14.	मौलिक कर्त्तव्य	90–91
15.	संविधान संशोधन	92–99
16.	संघ (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका)	100–131
	संसद	132–162
	न्यायपालिका	163–173
	राज्य विधानमण्डल	174–195
	उच्च न्यायालय	196–202
	स्थानीय स्वशासन– पंचायती राज व नगरीय शासन	203–216
17.	भारत की विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों से संबंध	217–226
18.	संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)	227–236

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक मेरे **पिताजी श्री बाबू शिव लाल यादव** (Ex-Army Officer– वर्तमान पद प्रधानाध्यापक) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पुस्तक उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जो राजस्थान में RPSC 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा के (सामाजिक विज्ञान S.St.) के लिए 'राजनीति विज्ञान' विषय की तैयारी कर रहे हैं।

इस पुस्तक में मैंने निम्न तथ्यों को सम्मिलित किया है–

1. पुस्तक की भाषा सरल एवं प्रत्येक अवधारणा को उदाहरण सहित समझाया गया है।
2. यह पुस्तक मानक पुस्तकों को आधार मानकर तथा RBSE/UGC/RPSC की विगत परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण करके तैयार की गई है, ताकि विद्यार्थी सभी प्रश्नों को समझ सके और सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सके।
3. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की पुस्तकों पर आधारित प्रामाणिक सामग्री का संकलन।
4. इस पुस्तक को इग्नु बोर्ड, विभिन्न ओपन विश्वविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों एवं विभिन्न संदर्भ पुस्तकों को आधार मानते हुए तैयार किया गया है।

इस पुस्तक के लेखन कार्य में मेरी बहन **डॉ. पूजा यादव**, **भाई विजय यादव**, **दिनेश कुमार** (I.A.S.), **डॉ. ममता** (Assistant Professor), **डॉ. रेखा चौधरी** (Assistant Professor), **महेन्द्र फौजी माण्डेला** (Indian Airforce) तथा **धींधवाल पब्लिकेशन टीम** का विशेष योगदान रहा है।

''दोस्तों, समय अपनी रफ्तार में है, अगर तुम रूके तो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो, रूके तो हार जाओगे।''

लेखकः– डॉ. मंगल
(असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित)
मो.– 7976216970

RPSC 2nd ग्रेड परीक्षा (राजनीति विज्ञान) में पूछे गये प्रश्न

RPSC सेकंड ग्रेड (संस्कृत विभाग) भर्ती 2024

1. **निम्नांकित में से भारत के संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352(1) में से ''आन्तरिक अशांति'' शब्द हटाया गया है?**
(1) 46वां संशोधन अधिनियम (2) 44वां संशोधन अधिनियम
(3) 42वां संशोधन अधिनियम (4) 39वां संशोधन अधिनियम
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

2. **निम्नांकित में से किस वर्ष में, संयुक्त राष्ट्र ने 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स' अपनाए?**
(1) 2000 (2) 2015 (3) 2020 (4) 2001
(5) अनुत्तरित प्रश्न (1)

3. **आमण्ड और पॉवले के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसे राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत है?**
(i) विनियामक निर्गत (ii) संचयी निर्गत
(iii) वितरणी निर्गत (iv) प्रतीकात्मक निर्गत
सही विकल्प चुनिये–
(1) केवल (i), (ii) और (iii) (2) केवल (ii), (iii) और (iv)
(3) केवल (i), (iii) और (iv) (4) (i), (ii), (iii) और (iv)
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

4. **निम्नांकित में से किस वर्ष में, 'कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम प्रशासन मिशन' की स्थापना की गई?**
(1) 1995 (2) 1998 (3) 1997 (4) 1999
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

5. **राजनीतिक सिद्धांत/विचार से संबंधित निम्नांकित में से कौनसा कथन सही नहीं है?**
(1) मध्यकालीन राजनीतिक विचार बौद्धिक जीवन में ईसाई धर्मशास्त्र के प्रभुत्व से आच्छादित थे।
(2) आधुनिक काल तक राजनीतिक सिद्धांत एक पाठ्य (टेक्स्चुअल) परंपरा रही है।
(3) शास्त्रीय राजनीतिक विचार अच्छे समुदाय, नागरिकता के दायित्व जैसे प्रश्नों से संबंधित है।
(4) समकालीन राजनीतिक सिद्धांत 1970 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में 'फाउंडेशनलिस्ट मोड़' से प्रभावित हुआ है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

6. **भारत के संविधान के भाग–V अध्याय 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है?**
(1) राष्ट्रपति (2) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
(3) मंत्रीपरिषद् (4) महान्यायवादी
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

7. **सूची–(I) का सूची–(II) से मिलान करें और अधिनियम और संविधान में किए गए संशोधन के संबंध में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें–**
सूची–I (अधिनियम)
(i) संविधान (तिरानवेवाँ संशोधन) अधिनियम
(ii) संविधान (चौरानवेवाँ संशोधन) अधिनियम
(iii) संविधान (पिचानवेवाँ) अधिनियम
(iv) संविधान (छियानवेवाँ संशोधन) अधिनियम
सूची–II (संशोधन)
(a) अनुच्छेद 334 में संशोधन
(b) आठवीं अनुसूची में संशोधन
(c) अनुच्छेद 164 में संशोधन
(d) अनुच्छेद 15 में खंड (5) की अन्तःस्थापना
कूट–
(1) (i)–(b), (ii)–(d), (iii)–(a), (iv)–(c)
(2) (i)–(d), (ii)–(c), (iii)–(b), (iv)–(a)
(3) (i)–(c), (ii)–(b), (iii)–(d), (iv)–(a)
(4) (i)–(d), (ii)–(c), (iii)–(a), (iv)–(b)
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

8. **'मिशन सागर' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–**
(A) इसे भारत द्वारा हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए 2020 में प्रारंभ किया गया था।
(B) यह भारत के दृष्टिकोण क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) के अनुरूप है।
सही विकल्प चुनिये–
(1) कथन (A) और (B) दोनों सही नहीं हैं।
(2) कथन (A) और (B) दोनों सही हैं।
(3) केवल कथन (A) सही है। (4) केवल कथन (B) सही है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

9. **निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह तर्क दिया कि 'राज्य केवल नकारात्मक स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतन्त्रता राज्य के दायरे से बाहर है'?**
(1) जॉन रॉल्स (2) गेराल्ड सी. मैककैलम
(3) इसायाह बर्लिन (4) सी.बी. मैकफर्सन
(5) अनुत्तरित प्रश्न (*)

10. **वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों पर विचार कीजिए–**
(i) प्राक्कल्पनाएँ (ii) तथ्यों का वर्गीकरण
(iii) सत्यापन (iv) सामान्यीकरण

1 राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं प्रारंभिक व आधुनिक परिप्रेक्ष्य

राजनीतिक शब्द की उत्पत्तिः

Politics

उत्पत्ति → ग्रीक (यूनानी) भाषा से

शब्द → Polis / Politia

अर्थ → राज्य/नगर

➢ **Politics का अर्थः** प्राचीन काल में यूनान के विचारक नगर-राज्य की गतिविधियों को **Politics** कहते थे।

☞ **क्या आप जानते हैं**

➢ Politics शब्द का प्रयोग **सर्वप्रथम** अरस्तु ने किया था।

➢ अरस्तु ने **दर्शनशास्त्र** विषय से अलग करके इस विषय को नया रूप दिया। इसलिए अरस्तु को **राजनीतिक विज्ञान का पिता** कहा जाता है।

➢ **मेरी वुल्स्टॉनक्राफ्ट** ने Politics को Political Science (राजनीति विज्ञान) **नाम देने का श्रेय** जाता है।

सिद्धांत शब्द की उत्पत्तिः

Theory

उत्पत्ति → ग्रीक / यूनानी

शब्द → Theory

अर्थ → व्यवस्थित अध्ययन

✦ **लियो स्ट्रॉस के अनुसार,** राजनीतिक सिद्धांत को निम्नलिखित अर्थों में समझा जा सकता है-

1. राजनीति सिद्धांत वैज्ञानिक व आदर्शात्मक दोनों होता है।
2. राजनीतिक सिद्धांत तथ्यों व तर्कों पर आधारित होता है।
3. राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों का व्यवस्थित अध्ययन है।
4. राजनीतिक सिद्धांत निकर्ष पर आधारित है।

✦ **राजनैतिक सिद्धांत का अर्थ निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता हैं-**

1. सिद्धांत राजनैतिक घटनाओं को देखने व समझने में उपयोगी है।
2. सिद्धांत व्यवस्थित चिन्तन है जो तर्क संगतता पर आधारित होता है।
3. सिद्धांत राजनीतिक वास्तविक और राजनीतिक आदर्श से संबंधित सत्य की खोज है।
4. सिद्धांत सामाजिक व राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रचलित विश्वासों व मान्यताओं का परीक्षण करता है, उनकी व्याख्या करने के साथ-साथ उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करता है।
5. राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक वास्तविकताओं, राजनीतिक आदर्शों व मूल्यों का व्यवस्थित ज्ञान है।
6. सिद्धांत वैज्ञानिक (व्याख्या) व आदर्शात्मक (मूल्यांकन) दोनों होता है। यह तथ्यों पर भी आधारित होता है और तर्कों पर भी।

राजनीतिक सिद्धांत का उपयोगिताः

राजनीतिक सिद्धांत का उपयोगिता

- सामाजिक परिवर्तन को समझने के सहायक
- राजनीतिज्ञों, नागरिकों तथा प्रशासकों के लिए उपयोगी
- भविष्य की योजना निर्माण में सहायक
- स्पष्टता प्राप्त करना
- सरकार को औचित्य प्रदान करना
- वास्तविकता को समझने में सहायक
- समस्या-समाधान में सहायक
- अवधारणा के निर्माण में सहायक

अभ्यास प्रश्न

1. राजनीतिक सिद्धान्त निम्नलिखित अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है—
(1) समानता (2) स्वतंत्रता
(3) लोकतंत्र (4) उपरोक्त सभी
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

2. 'द रिपब्लिक' की रचना किसने की—
(1) रूसो (2) प्लेटो
(3) अरस्तू (4) उपरोक्त कोई नहीं
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

3. राजनीति अध्ययन विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पद कौन सा है—
(1) राजनीतिक सिद्धान्त (2) राजनीति
(3) राजनीति विज्ञान (4) राजनीतिक दर्शन
(5) अनुत्तरित प्रश्न (3)

4. राजनीति विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है—
(1) निरपेक्ष विज्ञान (2) प्रामाणिक विज्ञान
(3) प्राकृतिक विज्ञान (4) सामाजिक विज्ञान
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

5. 'इन्ट्रोडक्शन टू पोलिटिकल एनालिसिस' कृति के लेखक हैं—
(1) डेविड एप्टर (2) आमण्ड
(3) डेविड ह्यूम (4) डेविड ईस्टन
(5) अनुत्तरित प्रश्न (1)

6. राजनीति विज्ञान का प्रारम्भ व अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है ?
(1) लास्की (2) पॉल जैनट
(3) गैटल (4) गार्नर
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

7. 'राजनीति विज्ञान सरकार से सम्बन्धित विद्या है' यह कथन निम्न में से किसका है ?
(1) गार्नर (2) लीकॉक
(3) सीले (4) ब्लंटश्ली
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

8. राजनीति विज्ञान के अध्ययन हेतु अन्तः शास्त्रीय उपागम पर बल देने वाला विद्वान है—
(1) सीले (2) चार्ल्स मेरियम
(3) गार्नर (4) ग्रीन
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

9. राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है—
(1) कानूनी उपागम (2) ऐतिहासिक उपागम
(3) व्यवहारवादी उपागम (4) दार्शनिक उपागम
(5) अनुत्तरित प्रश्न (3)

10. अमेरिका का वह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसे राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी अध्ययनों का गढ़ माना गया—
(1) हावर्ड (2) शिकागो
(3) विसकिंसन (4) ऑक्सफोर्ड
(5) अनुत्तरित प्रश्न (2)

11. परम्परागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विषय वस्तु है—
(1) राज्य (2) सरकार
(3) संप्रभुता (4) उपर्युक्त सभी
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

12. आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विषयवस्तु है—
(1) राजनीतिक व्यवहार (2) शक्ति
(3) राजनीतिक व्यवस्था (4) उपर्युक्त सभी
(5) अनुत्तरित प्रश्न (4)

13. राजनीति विज्ञान एक कला है क्योंकि—
(1) इसका उद्देश्य सर्वोच्च शुभ की उपलब्धि है।
(2) इसका उद्देश्य मानव जीवन को श्रेष्ठतर बनाना है।
(3) उपर्युक्त दोनों
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं
(5) अनुत्तरित प्रश्न (3)

2 राज्य – प्रकृति, कार्य, सम्प्रभुता व बहुलवाद

राज्य शब्द की उत्पत्तिः

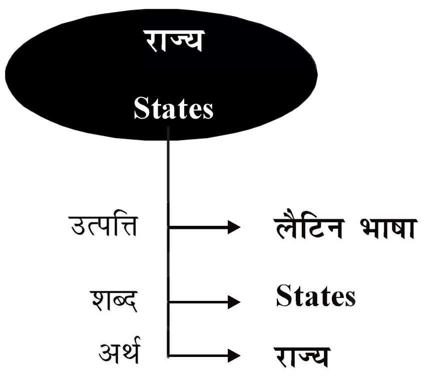

राज्य का शाब्दिक अर्थः

➢ राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन (सरकार) के अधीन हो राज्य सम्प्रभुता हो सकता है इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी भाग को भी राज्य कहते हैं जैसे – भारत के प्रदेशों को राज्य कहते हैं।

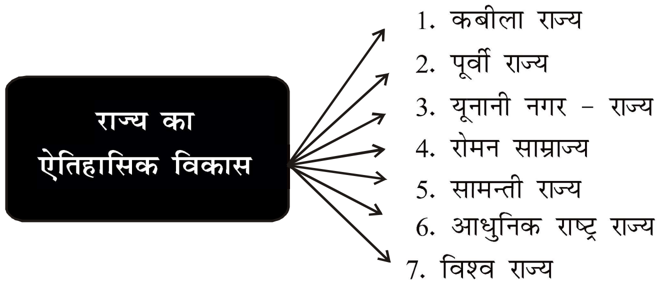

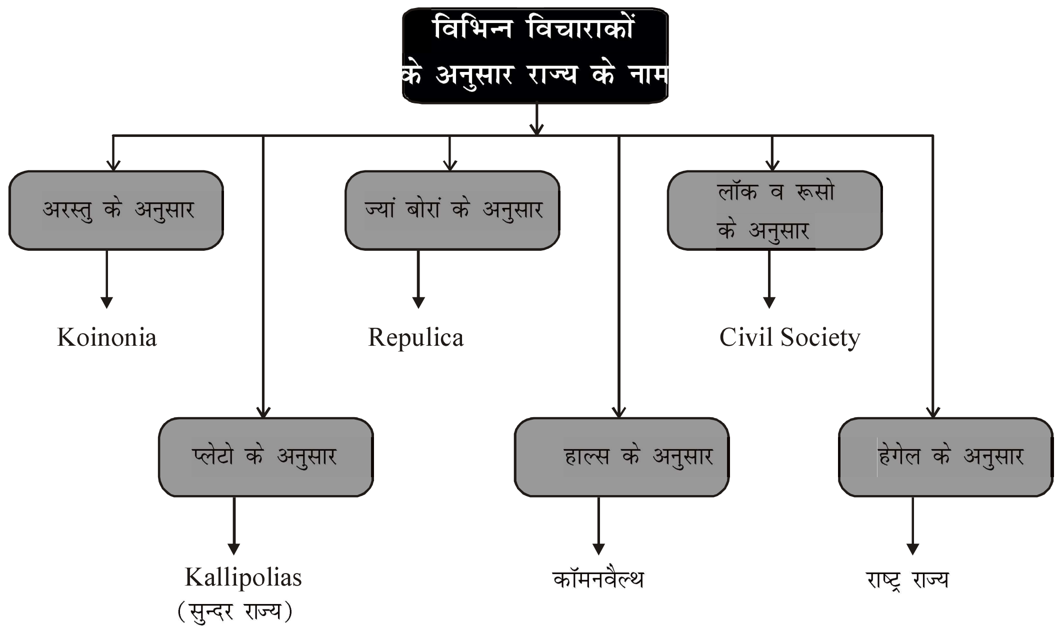

राज्य की परिभाषाएं

➢ **अरस्तु के अनुसार**– "राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्व और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।"

➢ **सिसरो के अनुसार**– "राज्य उस समुदाय के कहते है जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपभोग करना है।"

➢ **सेण्ट अगस्टाइन के अनुसार**, "राज्य ऐसे व्यक्तियों की समझौते द्वारा निर्मित संस्था है, जिन्होंने अपना संगठन विधि और कर्तव्यों के प्रयोगों और पूर्ति के लिए तथा पारस्परिक सम्पर्क के लाभ की प्राप्ति के लिए बनाया है।"

➢ **मैकियावली के अनुसार**, 'राज्य ऐसी शक्ति है जो मनुष्यों पर सत्ता का प्रयोग करती है।'

➢ **मैक्स वेबर के अनुसार**, 'राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है।

➢ **ब्लंट्शली के अनुसार**, 'राज्य एक निश्चित भू-भाग में हरने वाले राजनीतिक तोर पर संगठित लोगों का समुदाय है।'

➢ **लास्की के अनुसार**, 'राज्य एक ऐसा समाज है जो सरकार एवं प्रजा में बँटा हो और अपने निश्चित भू प्रदेश के भीतर अन्य सभी समुदायों के ऊपर हो।'

✦ समकालीन स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्त

➢ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् उदारवादी सिद्धान्त के विभिन्न सिद्धान्त सामने आये जो कि एक दूसरे से अलग होते हुए भी विपरीत नहीं थे। इनमें प्रमुख थे-

(i) परम्परागत बहुलवाद (ट्रूमैन, रॉबर्ट डहल)
(ii) परिष्कृत बहुलवाद (रिचर्डसन, जार्डन)
(iii) बहुल विशिष्ट वर्गीय (मैकफर लैण्ड, मैककोनन, लोबी)
(iv) नव-बहुलवाद (लिण्डब्लोम)
(v) नवीन दक्षिणपंथी (हायक, नॉजिक, रॉल्स)
(vi) नवीन वामपन्थी (पेटमन, मैक्सफर्सन, पोलंटजास)
(vii) समुदायवादी (सैण्डल, वाल्जर, टेलर)

सम्प्रभुता

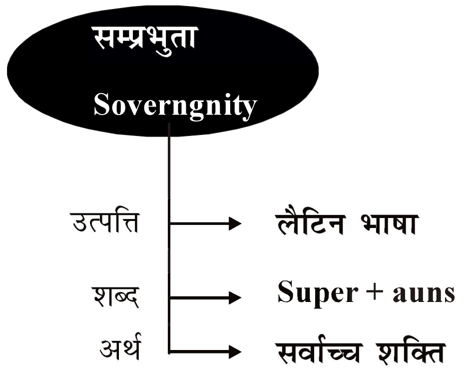

✦ सम्प्रभुता का शाब्दिक अर्थ

- सम्प्रभुता का अर्थ राज्य की उस शक्ति से है, जिसके अंतर्गत कोई राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अथवा समुदाय राज्य के ऊपर नही है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र होता है।

✦ सम्प्रभुता की परिभाषाएं

- **ज्याँ बोदां के अनुसार,** 'प्रभुसत्ता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, जो कानून के बधनों से नहीं बंधी होती।'
- **ग्रोटिअस के अनुसार,** 'सम्प्रभुता, उसमें निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, जिसके कार्य किसी अन्य के अधीन नहीं होते और जिनकी इच्छा का दमन नहीं किया जा सकता।'
- **ब्लैकस्टोन के अनुसार,** 'सम्प्रभुता, सर्वोच्च, अदम्य, निरपेक्ष, अनियंत्रित प्राधिकार है जिसमें सर्वोच्च विधिगत शक्ति होती है।'
- **डुग्यूइट के अनुसार,** 'सम्प्रभुता, राज्य की शासन शक्ति होती है यह राज्य में संगठित राष्ट्र की इच्छा है, यह राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्रतिबंधित आदेश प्रदान करने का अधिकार है।'
- **विलाउली के अनुसार,** 'संप्रभुता, राज्य की सर्वोच्च इच्छा है।'
- **सोल्टेयर के अनसागर,** 'संप्रभुता, राज्य द्वारा अन्तिम विधिक निग्राहृय शक्ति का अभ्यास है।'
- **विलोबी के अनुसार,** 'सम्प्रभुता, राज्य की सर्वोपरी इच्छा होती हैं।'
- **प्रो. लास्की के अनुसार,** 'सम्प्रभुता ही वह तत्त्व है जिसके कारण राज्य समाज के अन्य समुदायों से पृथक् एवं सर्वोच्च है।'

> **क्या आप जानते हैं?**
> - **बोदां को प्रभूसत्ता का जनक** कहा जाता है। राजनीति विज्ञान की विषयवस्तु में सम्प्रभुता को अध्ययन के रूप में प्रारम्भ करने का श्रेय 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी विद्वान **ज्याँ बोदाँ** को जाता है।
> - **बोदाँ** पुस्तक—**Six Books Conserning Republic**

सम्प्रभुता की विशेषताएं व लक्षण

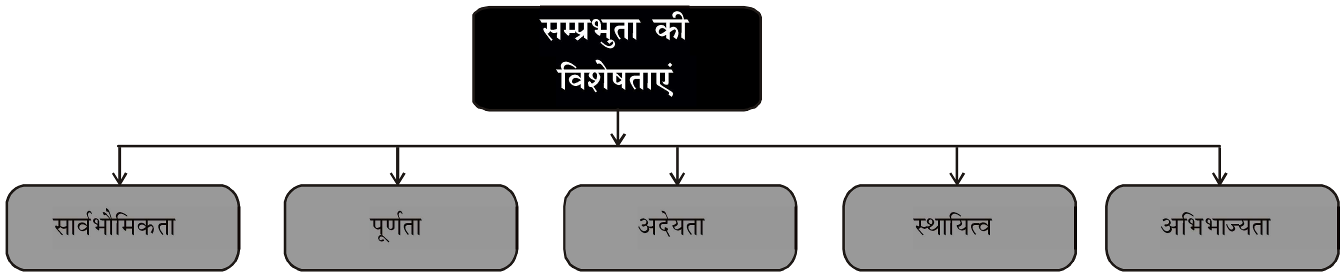

1. **पूर्णता** (Absoluteness)—सम्प्रभुता एक पूर्ण तथा असीम शक्ति है। यह अन्य किसी शक्ति पर आधारित नहीं है। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और उनके समूह प्रभुसत्ताधारी के अधीन होते हैं। अन्य कोई राज्य न तो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है न उसे किसी बात के लिए विवश कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था तो कर सकता है परन्तु उसे लागू करना उसके हाथ में नहीं है।

➢ **गेटेल** के अनुसार यदि सम्प्रभुता परमपूर्ण नहीं है, तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

2. **सार्वभौतिकता (Universiality)**—सम्प्रभुता राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य वस्तुओं में सर्वोच्च होती है परन्तु कोई भी व्यक्ति या संगठन राज्य के अधिकार क्षेत्र से मुक्ति की माँग नहीं कर सकता। अत: राज्य के सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्प्रभुता एक सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक शक्ति है।

3 अधिकार

अधिकार का अर्थ व परिभाषाएँ

अधिकार का अर्थः अधिकार आत्मविकास के वह दावा है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तथा राज्य द्वारा प्रदान है।

✦ **अधिकार का शाब्दिक अर्थः**

➢ अधिकार राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ और अवसर है जिनसे देश के आत्मविकास में सहायता मिलती है। अधिकार वह बाह्य अवस्था है जहाँ व्यक्ति का आंतरिक सर्वांगीण विकास सम्भव है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ जे.एल. फेनबर्ग ने बताया अधिकार व्यक्ति की पात्रता को रेखांकित करते हैं।

अधिकार की परिभाषाएं

➢ **लास्की** '' अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां है जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता।

➢ **बार्कर** ''अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और कानून आधारित है।''

➢ **हॉब हाऊस** – "अधिकार वही है जैसा कि हम अन्यों से अपने प्रति आशा करते है और जैसा कि अन्य हम से आशा करते है।"

➢ **बोसांके** – "अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है।"

➢ **सालमण्ड** – "सत्य के नियम द्वारा रक्षित हित का नाम ही अधिकार है।"

➢ **विले** के अनुसार, 'अधिाकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दाव है जो कुछ कार्यों को करने के लिए आवश्यक होता है।'

➢ **टी. एच. ग्रीन** के अनुसार, 'अधिाकार वह शक्ति है जिसका व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय द्वारा प्रयोग है जिसे समाज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसलिए स्वीकार कर लिया जाए कि वह सामान्य हित के लिए आवश्यक हो अथवा ऐसी सत्ता द्वारा वह दिया गया हो जिसको आवश्यक समझा जाता है।'

➢ **नॉजिक** के अनुसार, 'व्यक्ति के अधिाकार होते हैं। अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नुकसान हो।'

➢ **मैकन** के अनुसार, 'अधिकार सामाजिक हित के लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं जो नागरिक के यथार्थ विकास के लिए अनिवार्य है।'

✦ **निष्कर्षः**

➢ अधिकारों का जन्म समाज में होता है।

➢ अधिकार सार्वजनिक हित के लिए होते हैं।

➢ अधिकार निश्चित होने चाहिए।

➢ अधिकार दायित्व से घनिष्ठ संबंध रखते हैं।

➢ अधिकार स्वार्थमय दावा नहीं है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ होयफील्ड विद्वान ने अधिकार के चार तत्व बताये–

1. विशेषाधिकार
2. दावा
3. सत्य
4. प्रतिरक्षा

अधिकार की विशेषताएंः

अधिकारों की विशेषताएं

- अधिकारों का जन्म समाज में होता है
- अधिकार सार्वजनिक हित के लिए है
- अधिकार स्वार्थमय दावा नहीं है।
- अधिकार व कर्त्तव्यों के मध्य घनिष्ठ संबंध है।
- अधिकार के साथ दायित्व जुड़े।
- अधिकार वृद्धनशील होते है।

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ **कारेल बसाक** ने मानव अधिकारों की तीन पीढ़ियाँ बतायी हैं—

1. प्रथम पीढ़ी - नागरिक-राजनीतिक अधिकार
2. दूसरी पीढ़ी - सामाजिक-आथिक व सांस्कृतिक अधिकार
3. तीसरी पीढ़ी - सामूहिक विकासात्मक अधिकार

4 स्वतंत्रता

स्वतंत्रता शब्द का अर्थ एवं परिभाषाएँ

स्वतन्त्रता
Liberty
उत्पत्ति → लैटिन भाषा से
शब्द → Liber
अर्थ → प्रतिबंधो का अभाव

✦ स्वतन्त्रता का अर्थः

➢ स्वतन्त्रता अंग्रेजी के शब्द **Liberty** का हिन्दी रूपान्तरण है, जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के **'Liber' (लिबर)** शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है **बंधनों का 'अभाव'**

✦ स्वतन्त्रता का व्यापक अर्थः

➢ स्वतंत्रता का सबसे व्यापक अर्थ यह होगा कि मनुष्य अपने भीतर या बाहर से किसी भी तरह की विवशता से ग्रस्त न हो ताकि वह जो कुछ सर्वोत्तम समझता है उसे करने में कोई भी बाधा महसूस न करे। अतः जो मनुष्य पराधीनता से मुक्ति की मांग नहीं करता उसे स्वाधीनता का रास्ता दिखाकर उसके सोये हुए विवेक को जगाना चाहिए।

✦ स्वतंत्रता क्या है?

(A) स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का एक गुण है।

(B) स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ राजनीति सिद्धान्त का मुख्य सरोकार ''स्वतंत्रता की दशा'' से है।

➢ स्वतंत्रता के गुण के लिए Freedom शब्द का प्रयोग होता है।

➢ स्वतंत्रता की दशा के लिए Freedom & Liberty दोनों शब्दों का प्रयोग होता है।

❐ स्वतंत्रता की परिभाषाएं

1. **सीले के अनुसारः** स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है।
2. **हॉबहाउस के अनुसारः** एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ यह होगा कि बाकी सब पराधीनता की बेडियों में जकड़े जाएंगें और सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त हो सकती है जब समय पर कुछ ना कुछ प्रतिबंधा लगा दिए जाएं।
3. **डी.डी. मैकेंजी के अनुसार :** स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है।
4. **हॉब्स के अनुसारः** स्वतंत्रता का तात्पर्य 'विरोध की अनुपस्थिति' व 'बाधाओं का अभाव' है।
5. **हीगल** के अनुसार, 'स्वतंत्रता चेतना का एक विस्तार है, वह सकारात्मक है और ऐसी स्वतंत्रता उस इच्छा में निहित है जिसमें हमारा बाह्य व्यक्तित्व अन्तरात्मा की परिपूर्णता में बराबर विकसित हो सके।'
6. **ग्रीन** के अनुसार, 'स्वतंत्रता वह करने की जो करणीय है अथवा वह उपभोग करने की जो कि उपभोग्य है, एक सकारात्मक शक्ति है।'
7. **गेटेल** के अनुसार, 'स्वतंत्रता से अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीजों को करके आनंद प्राप्त होता है जो कि करने योग्य हों।'

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ **जे.आर. ल्यूकस** ने ''The Principle of Politics'' के अंतर्गत लिखा कि ''स्वतंत्रता का सात्विक अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो वहीं कुछ करने में वह समर्थ हो और उसके कार्य कलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से न बंधे हो ।''

➢ **अर्नेस्ट बार्कर** ने ''The Principle of Social & Plitical Theory'' में स्वतंत्रता के नैतिक आधार पर विशेष दिया।

☞ **क्या आप जानते हैं–**

➢ **कांट** — संकल्प की स्वतंत्रता

➢ **हेयक** — 'विकल्पों की स्वतन्त्रता' — विकल्प चयन की आजादी शक्तिशाली बनाती है— यह 'शक्ति रूपी स्वतन्त्रता' है।

➢ **रॉबर्ट नॉजिक** — आत्म-स्वामित्व की स्वतन्त्रता।

➢ **सी.बी. मैक्सफर्सन** — सृजनात्मक स्वतन्त्रता।

➢ **अमर्त्य सेन** — क्षमता की स्वतन्त्रता (Book - Development As Freedom)

➢ **आग-सान-सू-की** — भय से स्वतन्त्रता (Book- Freedom from Fear-1991)

5 समानता

✦ **समानता क्या है?**

हम यह कहते है कि "सब मनुष्य जन्म से समान है" अथवा ईश्वर ने सब मनुष्य को समान बनाया है। वस्तुतः मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इस दृष्टि से सब मनुष्य समान है।

✦ **समानता की संकल्पना**

➢ समानता एक आधुनिक विचार है। यह सत्य है कि मनुष्य के साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि मनुष्य वास्तव में समान नहीं है।

➢ समानता की संकल्पना एक **सापेक्ष संकल्पना** है।

➢ आधुनिक युग में रूस (1917), फ्रांस की क्रांति (1789) व अमेरीकन क्रांति (1776) ने समानता की संकल्पना को केन्द्रीय विषय बना दिया।

➢ 1776 में अमेरिकन स्वतंत्रता के घोषणापत्र के अनुसार, ''हम इस सत्य को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान है।''

✦ **समानता की अवधारणाः**

→ **लास्की ने** समानता की अवधारणा की तीन प्रमुख स्थिति जो इस प्रकार है–

1. विशेषाधिकारों का अभाव
2. समान अवसरों की उपलब्धि।
3. सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की प्राथमिकता।

समानता के विविध आयाम (प्रकार)

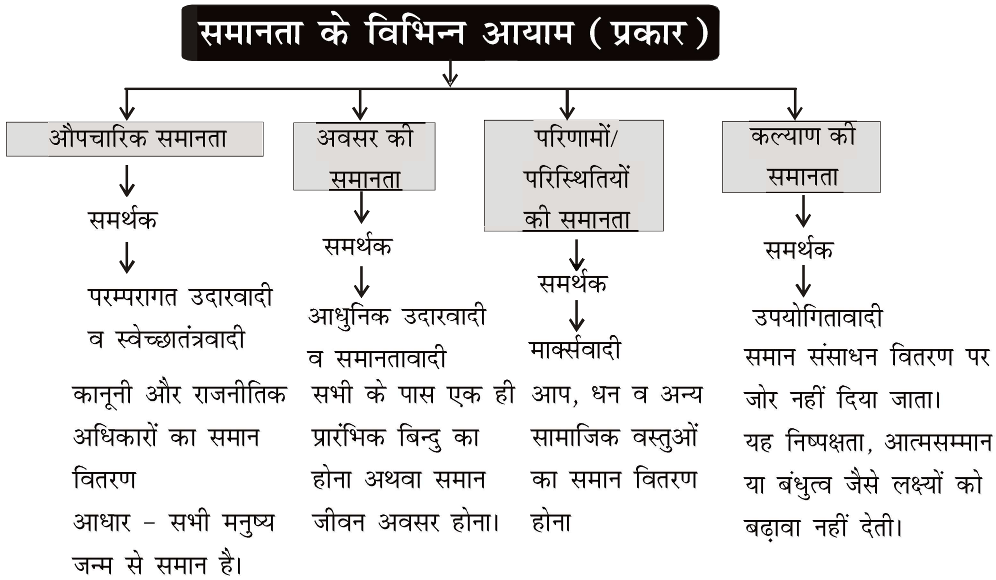

✦ **समानता के अन्य आयामः**

(अ) कानूनी समानता,

(ब) राजनीतिक समानता

(स) आर्थिक–सामाजिक समानता।

(द) लैंगिक समानता

➢ **रूसो** ने अपनी रचना ''**डिस्कोर्स ऑफ इक्विैलिटी**'' (1755) में दो प्रकार की विषमताओं में अंतर किया–

(अ) **प्राकृतिक विषमता**–मनुष्य में आयु, कद, रंग, सौंदर्य, बाहुबल, बुद्धिबल इत्यादि की विभिन्नताएँ।

(ब) **परम्परागत विषमता**–धन संपदा, पद प्रतिष्ठा व शक्ति की भिन्नता अर्थात्! मानव या समाज द्वारा निर्मित भिन्नता।

➢ **असमानता (विषमता) के दो तर्कसंगत आधार–**

(अ) भेदभाव का कोई तर्कसंगत कारण अवश्य होना चाहिए।

(ब) मुक्त प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में कमजोर वर्ग को कुछ छूट दी जानी चाहिए ताकि वह ताकतवर वर्ग के मुकाबले नुकसान में न रहे।

➢ **अरस्तू** ने दासप्रथा का समर्थन किया है।

➢ **लॉक** ने रोमन कैथोलिक को नागरिकता से वंचित रखा।

➢ **हिटलर** ने यहुदियों को नागरिकता से वंचित रखा।

उपर्युक्त विषमता निहित स्वार्थों से प्रेरित थी।

सकारात्मक कार्यवाही–वह कार्यवाही जिसमें लोगों की नियुक्ति, पदोन्नति या संस्थानों में प्रवेश इत्यादि प्रदान करते समय किसी पिछड़े हुए समूह को (SC, ST, OBC, Women) विशेष रियायत दी जाती है ताकि अतीत में उनके साथ हुये अन्याय की क्षतिपूर्ति की जा सके।

✦ **पक्षः–**

1. यह अतीत के अन्याय की भरपाई करेगा।
2. यह यथार्थ समानता की पूर्ति में सहायक होगा।

6 न्याय

न्याय शब्द की उत्पत्ति

न्याय

Justice

- उत्पत्ति → लैटिन भाषा में
- शब्द → Justia
- अर्थ → जोड़ना

न्याय का अर्थ

➢ न्यास अंग्रेजी के **Justice** का शब्द का हिन्दी रूपान्तरण है। जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा Jus से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ **अभिप्राय जोड़ना** है।

● **न्याय का व्यापक अर्थ:**

➢ न्याय एक व्यापक संकल्पना है जिसका प्रयोग नैतिक, वैधानिक, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक इत्यादि विविध रूपों में किया जाता है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

● न्याय के दो मूल तत्व होते हैं–

1. समानता
2. निष्पक्षता

➢ भारतीय दर्शन में इसका पर्यायवाची शब्द **'धर्म'** है।

न्याय की परिभाषाएं

➢ **अरस्तू** "न्याय व सम्पूर्ण सद्गुण है जो हम आपसी व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं।"

➢ **जॉन रॉल्स** "न्याय समाज व सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है।"

न्याय के स्रोत

न्याय के स्रोत → प्राकृतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक ← अनेस्ट बार्कट के अनुसार

न्याय के प्रकार

न्याय के प्रकार →

1. **नैतिक न्याय (प्लेटो/कार)** – प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन करे।
2. **वैधानिक (डायसी)** – कानून के समक्ष समानता
3. **राजनीतिक** – शासन व्यवस्था में समान भागीदारी
4. **सामाजिक न्याय** – धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं।
5. **आर्थिक न्याय** – मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति
6. **वैश्विक न्याय (राल्स)** – अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा

न्याय के युग्म

न्याय के युग्म →

- विवरणात्मक न्याय बनाम सुधारात्मक न्याय
- प्रक्रिया न्याय बनाम वास्तविक न्याय
- रूढ़िवादी बनाम आदर्शवादी
- तुलनात्मक बनाम गैर तुलनात्मक

न्याय के विभिन्न आयाम

न्याय के आयाम

- विवरणात्मक आयाम
- समानुपातिक आयाम
- प्रक्रियात्मक आयाम
- प्राकृतिक न्याय आयाम
- प्रक्रियात्मक न्याय
- तात्विक न्याय

7 शक्ति

शक्ति का अर्थ-

- किसी कार्य को करने की क्षमता या योग्यता शक्ति कहलाती है।
- किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता, जिसमें बाध्यता/दबाव/बल प्रयोग का तत्व शामिल होता है।
- प्रशासन में शक्ति के स्थान पर सत्ता संबंधी अवधारणा को अपनाया गया है, जो शक्ति का सुव्यवस्थित, परिष्कृत, नियमबद्ध स्वरूप है जिसमें शक्ति के साथ वैधता निहित होती है।

शक्ति की परिषाभाषाएं:

- **रॉबर्ट बायर्सटेड के अनुसार** 'शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग।'
- **मैकाइवर के अनुसार** 'शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियन्त्रित करने विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है।'
- **अर्नल्ड ब्रेख्त के अनुसार** 'शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है।'
- **मॉरगेन्थाऊ के अनुसार** 'शक्ति, उस को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, एक मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध है। वह पहली श्रेणी में आने वालों को दूसरी श्रेणी में आने वालों के कुछ कार्यों को उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर नियन्त्रण करने की क्षमता प्रदान करती है।'
- **रॉबर्ट डहल के अनुसार** 'शक्ति लोगों के पारस्परिक सम्बन्धों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अन्तर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाते।'
- **आर्गेन्सकी के अनुसार** 'शक्ति दूसरे राष्ट्रों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह कितना ही सम्पन्न क्यों न हो, तब तक उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता।'

☞ क्या आप जानते हैं?

- राजनीतिशास्त्र में जार्ज कैटलिन वह पहला व्यक्ति था जिसने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धान्त अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया, जिसमें शक्ति को केन्द्रीय स्थान पर रखा गया था। कैटलिन ने राजनीति के सम्बन्ध में मैक्स वेबर की उस परिभाषा को स्वीकार किया है जिसमें उसे 'शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को, जो शक्ति में हैं, प्रभावित करने की प्रक्रिया' बताया गया है।

शक्ति की विशेषताएं

1. शक्ति संबंध सूचक अवधारणा है। इसमे शासक और शासितों के बीच संबंध पाया जाता है। अर्थात शासक के लिए यह आवश्यक है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हों जिस पर वह शासन करें।
2. शक्ति द्विपक्षीय अवधारणा है। अर्थात जब शासित होंगे तभी शासक भी होंगे। किसी एक के अभाव मे शक्ति का प्रयोग संभव नहीं है।
3. व्यक्तिगत स्थिति व प्रतिष्ठा शक्ति को प्रभावित करती है। अर्थात शक्ति परिस्थितिजन्य होती है। उदाहरण के लिए, एक उच्च पद में बैठा व्यक्ति यदि ढुलमोल चाल से प्रशासन करता है तो वह प्रशासन अस्त-व्यस्त रहता है और उसी पद पर यदि कोई दूसरा तेजस्वी व्यक्तितव वाला आसीन होता है तो वह अच्छा शासन करता है। दोनों व्यक्ति एक ही पद पर एक ही प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करते है फिर भी दोनों की शक्तियों के परिणामों में अंतर होता है।
4. शक्ति मे पुरस्कार और दंड देने की शक्ति पाई जाती है। अर्थात जो व्यक्ति शक्तिधारी होते है वे जनता के आदशों का पालन करा सकते है, क्योंकि वे दंड और पुरस्कार देने की स्थिति मे होते है।
5. अनेक शक्तिधारी पर्दे के पीछे रहकर शक्ति का प्रयोग करते है। पूँजीपति और बड़े-बड़े धार्मिक नेता राजनीति से दूर रहते हुए भी राजनीति मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

शक्ति के प्रकार

→ राजनीतिक शक्ति तीन रूपों में अभिव्यक्त होती है :

(1) शारीरिक शक्ति

(2) मनोवैज्ञानिक शक्ति

(3) आर्थिक शक्ति

✦ **शारीरिक शक्ति**

- प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के परिणामस्वरूप राज्य की शारीरिक शक्ति इसके कई घटकों में बंटी रहती हैं जिनमें स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना और प्रक्षेपास्त्रों वाले परमाणु शक्ति के केन्द्र प्रमुख हैं। सैनिक शक्ति के इस प्रकार विभाजन से राजनीतिक सत्ता को थोड़ी सुरक्षा प्राप्त होती है और बड़े देशों में आसानी से सैनिक क्रान्ति नहीं हो पाती है।

✦ **मनोवैज्ञानिक शक्ति**

- मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचको से मिलकर बनती है, जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। यह प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियन्त्रित करने का तरीका है।

8 सत्ता/प्राधिकार

✦ सत्ता/प्राधिकार का अर्थ

➢ सत्ता शक्ति का संस्थात्मक एवं विधिक रूप है। यह उस समय उत्पन्न होती है जब शासक और शासित में सम्बन्ध स्थापित होता है। साधारण अर्थ में सता निर्णय लेने की वह शक्ति है जो दूसरों के कार्यों को प्रभावित करती है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ किसी राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता किसी को प्रभावित करने की वह क्षमता जिसमें वैधता का तत्व शामिल होता है।

➢ सत्ता = शक्ति + वैधता।

✦ सत्ता/प्राधिकार की परिभाषाएं-

1. **बायर्सटेड के अनुसार** 'सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं।'
2. **बीच के अनुसार** 'दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं।'
3. **रोवे के अनुसार** 'सत्ता व्यक्ति या व्यक्ति समूह के राजनीतिक निश्चयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है।'
4. **यूनेस्को की 1955 की रिपोर्ट के अनुसार** 'सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण होती है।'
5. **बनार्ड बारबर एवं एमितीय इर्जियोनी** के अनुसार 'सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है।'
6. **एस0ई0 फाइनर के अनुसार** 'शक्ति पर सत्ता उन बाह्य प्रभावों के समस्त परिवेश की द्रद्योतक है, जो व्यक्ति को अपने प्रभाव से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है।'

➢ **हरबर्ट साईमन के अनुसार**, 'सत्ता निर्णय लेने की शक्ति होती है।'

6. **ई0एम0 कोल्टर के अनुसार** 'सत्ता वह क्षमता है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती।'
7. **जे० फ्रेडरिक के अनुसार** 'जिसे केवल संकल्प इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है, उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहा जाता है।'

सत्ता की प्रकृति

(i) सता राज्य की सक्रियता का प्रमुख तत्व है।

(ii) सत्ता जनहित का प्रमुख साधन भी है।

(iii) सत्ता निर्णय लेने की वह शक्ति है हो दूसरे के कार्यों का पथ-प्रदर्शन करती है।

(iv) सत्ता औपचारिक, निश्चित व विशिष्ट होती है। सत्ता का स्वरूप वैधानिक एवं संगठनात्मक है।

(v) इसकी प्रकृति के बारे में दो सिद्धान्त - (i) औपचारिक सत्ता सिद्धान्त तथा (ii) स्वीकृति

☞ **क्या आप जानते हैं?**

● सत्ता के प्रमुख घटक दो हैं: (i) शक्ति (ii) वैधता।

सत्ता/प्राधिकार के स्रोत

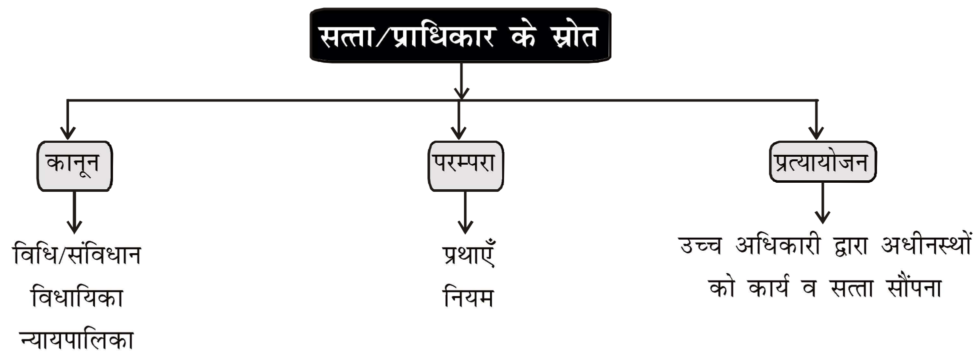

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ ग्लेडन ने सत्ता को संगठन का हृदय कहा।

9 वैधता

औचित्यपूर्णता (वैधता) का अर्थ एवं परिभाषाएँ

➢ वैधता को अंग्रेजी में **लेजिटीमेसी (Legitimacy)** कहते हैं। लेजिटीमेसी **लेटिन भाषा** के **लेजटीमस (Legtimus)** शब्द से निकला है जिसका अर्थ है वैधानिक। मध्ययुग में इसे लेजटीमीटास (Legtimitas) और अंग्रेजी भाषा में सूंनिस कहा जाता था। वर्तमान लोकतन्त्र के युग में जन समर्थन को ही वैधता कहा जाता है।

➢ राजनीतिक व्यवस्थाओं की नीतियों, सरंचनाओं, कार्यकलापों, नेताओ, अधिकारियों के प्रति उक्त विश्वास को ही राजनीतिक शास्त्र में औचित्यपूर्ण कहा जाता है।

✦ औचित्यपूर्णता (वैधता) की परिभाषाएं

1. **मैक्स वेबर** के अनुसार, – 'औचित्यपूर्णता विश्वास पर आधारित होती है और अनुपालन प्राप्त करती है।'
2 **कून एल्फ्रेड** के अनुसार, 'औचित्यपूर्णता का अर्थ शासकों के मध्य एक समझौते की स्वीकृति है यह लोगों का ऐसा समझौता है जिसके अधीन लोग जीवित रहने और कारागार के बाहर रहने के बदले सरकार के आदेशों का पालन और कर देना स्वीकार करते हैं।'
3. **एस०एम० लिप्सेट** के अनुसार, 'औचित्यपूर्णता का मतलब, अर्थव्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास पैदा किया जाए तथा बनाए रखा जाए कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी है।'
4. **स्टर्न बर्जर** के अनुसार, 'औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है। एक ओर सरकार को ध्यान दिलाती है कि उसे शासन करने का अधिकार है तथा दूसरी ओर जनता द्वारा उसे अधिकार का अभिज्ञान कराती है।'
5. **जीन ब्लेण्डल** के अनुसार, 'औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है, जिस सीमा तक लोग उस संगठन को, जिससे वे संबंधित है, बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। सहमति अथवा स्वीकृति का क्षेत्र जितना अधिक विशाल होगा, उस संगठन का उत्तना ही अधिक औचित्य होगा।'

➢ **जी० के० राबर्ट्स** के अनुसार, 'औचित्यपूर्णता (वैधता) वह सिद्धांत है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा प्राप्त या किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा शक्ति के प्रयोग की स्वीकृति को सूचित करता है। यह स्वीकृति इस आधार पर सूचित की जाती है कि राजनीतिक पद की ऐसी प्राप्ति या शक्ति का प्रयोग सत्ता प्रदान करने के स्वीकृत सिद्धांतों और विधियों के अनुकूल है।'

✦ निष्कर्ष:

➢ उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि औचित्यपूर्णता राजनीतिक व्यवस्था का वह गुण है जिसके आधार पर जनता को यह विश्वास होता है कि राजनीतिक सत्ता की रचना, उसकी नीतियां तथा कार्य समाज के कल्याण के लिए उचित है और जनता बिना किसी संकोच के उन्हें अपना समर्थन और सहमति प्रदान करती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि औचित्यपूर्णता शासकीय शक्ति की नींव है।

औचित्यपूर्णता की विशेषताएं

→ औचित्यपूर्णता की विभिन्न परिभाषाओं से औचित्यपूर्णता की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है–

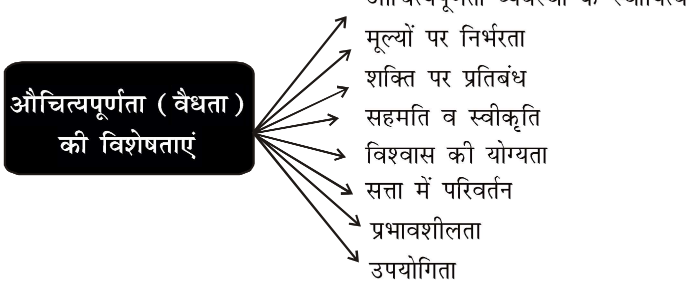

1. **औचित्यपूर्णता व्यवस्था में स्थायित्व लाती है :** औचित्यपूर्णता किसी भी व्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यवस्था में स्थायित्व तभी आता है जब लोगों का उस व्यवस्था में विश्वास हो और विश्वास पैदा करने की योग्यता और औचित्यपूर्णता में है।

10 संविधान परिचय

☞ **क्या आप जानते हैं?**

संविधानों का जनक **इंग्लैण्ड** को कहा जाता है। लेकिन लिखित संविधानों का जनक **अमेरिका** को कहा जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से इंग्लैण्ड का संविधान परंपराओं पर आधारित है। जिन्हें **अभिसमय** कहा जाता है।

☞ **संविधान क्या है?**

➢ लिखित तथा अलिखित नियमों का वह समूह जिससे किसी देश का शासन चलता हो। उसे संविधान कहते हैं।
जैसे – भारत का संविधान लिखित
ब्रिटेन का संविधान अलिखित

☞ **संविधान का परिचय**

➢ संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग **ब्रिटिश नागरिक हेनरी मेन** ने किया। जबकि भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग **बाल गंगाधर तिलक** ने किया।

➢ विश्व में सर्वप्रथम **1789 में अमेरिका देश** में संविधान लागू हुआ।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ अमेरिका देश **4 जुलाई 1776** में स्वतंत्र हुआ और इसका संविधान **1787** में बनकर तैयार हुआ।

➢ अमेरिका के संविधान का **जनक जार्ज वांशिंगटन** है।

➢ भारतीय संविधान का जनक **डॉ. भीमराव अंबेडकर** है।

➢ विश्व में दूसरा देश **फ्रांस** जहां **1793** में संविधान लागू हुआ।

भारतीय संविधान की रूपरेखा

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ भारतीय शासन अधिनियम, 1919 की उद्देशिका में यह निहित था कि भारतीय संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का था।

➢ भारत में **सर्वप्रथम** संविधान सभा की मांग **1895** में **बाल गंगाधर तिलक** ने **'स्वराज्य विधेयक'** तहत की।

➢ **1922** में **महात्मा गांधी** ने संविधान सभा की मांग की और कहा कि भारत में संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। (हरिजन पत्रिका में)

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ 1922 में शिमला में ब्रिटिश सरकार के अधीन संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेन्ट ने संबोधन करते हुए कहा कि संविधान बनाने के लिए अलग से एक अधिवेशन बुलाया जाए इसलिए 1923 में दिल्ली में इसका अधिवेशन बुलाया गया था।

➢ 1923 में तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें कॉमन वेल्थ विधेयक को तैयार करने का निर्णय लिया गया। जिसमें संविधान सभा की भी चर्चा थी। इस विधेयक को 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको इंग्लैण्ड भेजा।

➢ 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों से संविधान सभा की मांग की।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ यह मांग नेहरू रिपोर्ट 1928 के तहत रखी गयी थी जिसमें नेहरू के अलावा 9 सदस्य और थे।

➢ **1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन** में भी संविधान की चर्चा की गई जिसमें पं. जवाहरलाल नेहरू भाषण में कहा कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज्य दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था।

➢ 1934 में वामपंथी दल के प्रमुख MN Roy ने व्यक्तित्व रूप से संविधान सभा की मांग की। ऐसी मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे।

➢ 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की और कहा संविधान सभा का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए।

➢ 1937 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग फैजपुर अधिवेशन में की। (फैजपुर अधिवेशन कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था जो महाराष्ट्र में आयोजित हुआ।)

संविधान निर्माण के प्रयास

संविधान सभा निर्माण के प्रयास

प्रथम प्रयास	द्वितीय प्रयास	तृतीय प्रयास
↓ अगस्त प्रस्ताव (1939–40) ↓ असफल रहा	↓ क्रिप्स मिशन 1942 ↓ असफल रहा	↓ कैबिनेट मिशन ↓ सफल रहा

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ वेवल ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष पं. नेहरू को आंतरिक सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया।

➢ 24 अगस्त 1946 को पं. नेहरू के नेतृत्व में भारत में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गयी।

Fact: तीन गैर मुस्लिम लीग सदस्य थे तथा मुस्लिम लीग अपने पाँच मनोनित सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके।

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में 7 सदस्यों का भेजने का निर्णय लिया था जबकि कांग्रेस ने 6 सदस्य भेजने पर सहमति थी। इसलिए मुस्लिम लीग शुरू में इसमें शामिल नहीं हुआ। बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी जिसमें सदस्य संख्या 13 से बढ़कर 15 लो गई।

सविधान सभा (1946) में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	समुदाय	शक्ति
1.	हिन्दू	163
2.	मुस्लिम	80
3.	अनुसूचित जाति	31
4.	भारतीय ईसाई	6
5.	पिछड़ी जनजातियाँ	6
6.	सिख	4
7.	एंग्लो इंडियन	3
8.	पारसी	3
कुल		**296**

संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के परिणाम (जुलाई - अगस्त 1946)

क्र.सं.	दल का नाम	सीटें जीतीं
1.	कांग्रेस	208
2.	मुस्लिम लीग	73
3.	यूनियनिस्ट पार्टी	1
4.	यूनियनिस्ट मुस्लिम्स	1
5.	यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट्स	1
6.	कृषक प्रजा पार्टी	1
7.	शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन	1
8.	सिख (नॉन कांग्रेस)	1
9.	कम्युनिस्ट पार्टी	1
10.	इंडिपेंडेंट्स (स्वतंत्र/निर्दलीय)	8
कुल		**296**

संविधान सभा के अधिवेशन

अधिवेशन	खण्ड	अवधि	बैठक
पहला	खण्ड-I	9 दिसम्बर, 1946 - 23 दिसम्बर, 1946	11
दूसरा	खण्ड-II	20 जनवरी, 1947 - 25 जनवरी, 1947	05
तीसरा	खण्ड-III	28 अप्रैल, 1947 - 2 मई, 1947	05
चौथा	खण्ड-IV	14 जुलाई, 1947 - 31 जुलाई, 1947	14
पांचवां	खण्ड-V	14 अगस्त, 1947 - 30 अगस्त, 1947	11
छठा	खण्ड-VI	27 जनवरी, 1948	01
सातवां	खण्ड-VII	4 नवम्बर, 1948 - 8 जनवरी, 1949	36
आठवां	खण्ड-VIII	16 मई, 1949 - 16 जून, 1949	23
नौवां	खण्ड-IX	30 जुलाई, 1949 - 18 सितम्बर, 1949	38
दसवां	खण्ड-X	6 अक्टूबर, 1949 - 17 अक्टूबर, 1949	10
ग्यारहवां	खण्ड-XI	14 नवम्बर, 1949 - 26 नवम्बर, 1949	12
बारहवां	खण्ड-XII	24 जनवरी, 1950	01
		कुल बैठकें	**167**

संविधान सभा की बैठकें

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ 167 = कुल संविधान की बैठकें हुई।

➢ 166 = बैठकों में संविधान को लेकर बहस हुई।

➢ 114 बैठकों में संविधान को लेकर चर्चा हुई।

➢ 6 संविधान की प्रमुख बैठकें मानी जाती है जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है-

✦ **संविधान की पहली बैठक:**

➢ 9 दिसम्बर, 1946 को आयोजित हुई। (सोमवार 12 PM बजे)

➢ इस बैठक का आयोजन दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ जिसको संविधान कक्ष नाम दिया गया।

➢ बैठक में 207 सदस्य थे। जिनमें 10 महिलाएं थी।

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ इस संविधान सभा बैठक में राजस्थान से मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने भाग लिया।

➢ इस बैठक में मद्रास से सर्वाधिक सदस्य थे।

➢ इस बैठक का बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया।

➢ इस बैठक में प्रसन्द देव रैकट नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसलिए इस दिन शोक सभा भी रखी गई।

➢ इस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष (सभापति) सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और उपाध्यक्ष (उपसभापति) फ्रेन्क एन्थोनी।

11 संविधान की विशेषताएं

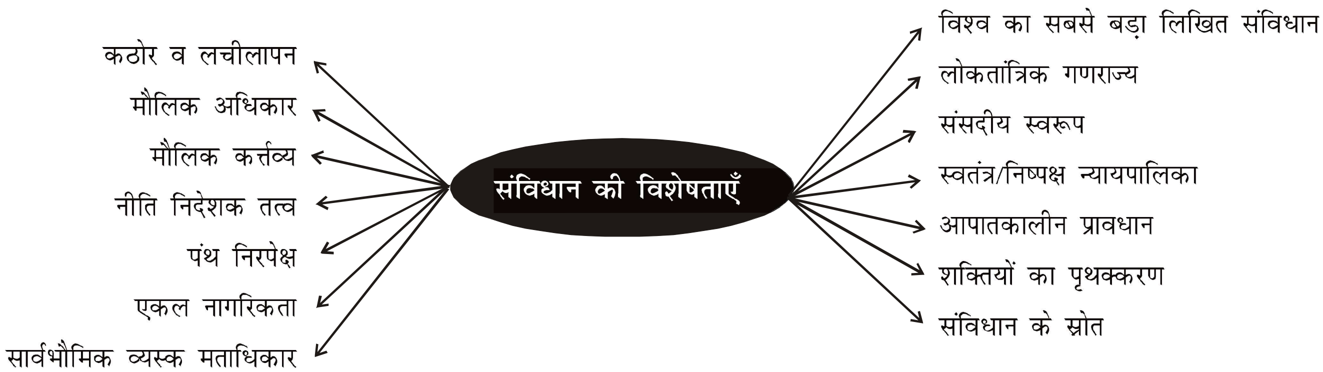

✦ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान

- भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसके साथ ही साथ यह विश्व के सभी देशों के संविधान की तुलना में सबसे अधिक विस्तृत है।

☞ **क्या आप जानते है ?**
- मूल संविधान में **395 अनुच्छेद** एवं **8 अनुसूचियां** सम्मिलित थी, जिनमें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से कई परिवर्तन किये गये हैं। **वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ** है।

✦ कठोर व लचीला संविधान

- भारतीय संविधान विशुद्ध रूप से न तो कठोर या अनम्य है और न ही नम्य या लचीला है। इसमें कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है।
- संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- हालांकि कुछ प्रावधानों में संशोधन तभी किया जा सकता है, जब इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है।
- **पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार,** "यद्यपि हम संविधान को इतना दृढ़ और स्थायी बनाना चाहते हैं, जितना हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। संविधान में कुछ लचीलापन होना चाहिए।

✦ संसदनात्मक शासन व्यवस्था

- भारत ने ब्रिटेन द्वारा अपनाई गई **वेस्टमिंस्टर प्रणाली** को अपनाया है। यह सरकार की एक **लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली** है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सत्ता में केवल तक तक बनी रहती है जब तक इसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है।
- भारत का राष्ट्रपति नाममात्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का गठन विधायिका से ही किया जाता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। **केन्द्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी** होती है। यदि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् सदन में विश्वास खो देती है, तो यह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है।
- राष्ट्रपति जो नाममात्र का कार्यकारी होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अर्थात् वास्तविक कार्यपालिका की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यों में भी सरकार संसदीय प्रकृति की होती है।

✦ **निष्कर्ष:**- इस प्रकार ब्रिटेन के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के विपरीत भारत में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है।

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 1 के अनुसार, 'भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ'** होगा। हालांकि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तथापि भारत एक संघीय गणतंत्र है।

✦ लोकतांत्रिक गणराज्य

- भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि **भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित** है। वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं को प्रशासित करते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है, एक निश्चित समयावधि के लिए चुना जाता है।

12 मौलिक अधिकार

✦ अधिकार क्या है?

➢ अधिकार वह मांग है जो समय के द्वारा मांगी जाती है और राज्य के द्वारा प्रधान की जाती है।

☞ **क्या आप जानते है?**

- मूल अधिकार संविधान द्वारा परिभाषित नहीं है।
- मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान ब्रिटिश भारत में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में किया गया।
- कांग्रेस ने 1931 के करांची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भविष्य के भारत के नागरिकों को 8 मूल अधिकार देने का संकल्प लिया।

✦ मौलिक अधिकार क्या है?

➢ मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रधान किये जाते हैं।

➢ मौलिक अधिकार वाद योग्य है। (न्यायालय द्वारा लागू करवाये जा सकते है)

मौलिक अधिकार

- भाग → 3 (भारत का मैग्नाकार्टा)
- अनुच्छेद → 12 - 35
- किस देश से लिया गया → अमेरिका
- मूल संविधान → 07
- वर्तमान में → 06

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ मूल अधिकार अमेरिका के 1791 के अधिकारपत्र से प्रेरित है।

➢ पं. नेहरू ने **भाग 3** को संविधान की आत्मा कहा।

✦ अधिकारों का विकास क्रम:

अधिकारों का विकास क्रम

1. नागरिक अधिकार
2. राजनीतिक अधिकार
3. सामाजिक/आर्थिक अधिकार
4. मानवाधिकार

मूल अधिकारों की प्रकृति

मूल अधिकार

- सकारात्मक → ऐसे अधिकार जो राज्य की शक्ति पर निर्बन्ध लगाते है। → उदाहरण: अनु. 14/15/16/20/21
- नकारात्मक → ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था है → उदाहरण: अनु. 21(A), 25 29(i), 30(i)

मौलिक अधिकार की विशेषताएं

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं

- मौलिक अधिकार सीमित है
- मौलिक अधिकार निरंकुश नहीं
- मूल अधिकार आपातकाल में निलम्बन
- मूल अधिकार स्थायी नहीं
- मूल अधिकार सकारात्मक नकारात्मक है
- मूल अधिकार प्राकृतिक व अगणित नहीं

मौलिक अधिकार

- ऐसे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है → उदाहरण: अनु. 15/16/19/29/30
- ऐसे अधिकार जो विदेशी नागरिकों के लिए है। → उदाहरण: अनु. 19/20/21/22/23/24 /25/26/27/28

☞ **क्या आप जानते है?**

→ विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस देश में मौलिक अधिकारों को लागू किया गया।

➢ मौलिक अधिकार निरपेक्ष होते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है लेकिन अनु. 23 व 17 निरपेक्ष अधिकार है।

➢ मौलिक अधिकारों को विधि की आवश्यकता नहीं होती है जिनमें से कुछ इस प्रकार है-
अनु. 14, अनु. 19, अनु. 21

मूल अधिकारों का उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण

सकारात्मक	नकारात्मक	केवल भारतीय नागरिकों हेतु	गैर-नागरिकों को प्राप्त अधिकार
अनु. 19	अनु. 15(1)	अनु. 15	अनु. 14
अनु. 29	अनु. 16(2)	अनु. 16	अनु. 21
अनु. 30	अनु. 21	अनु. 19	अनु. 20
	अनु. 14	अनु. 29	अनु. (25-28)
		अनु. 30	

✦ **अनु. 15 (2)**

➢ किसी भी भोजनालय दुकाने, मनोरंजन स्थल, सड़के आदि पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

✦ **अनु. 15 (3)**

➢ राज्य महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गो के लिए अलग से योजनाएं बना सकता है।

✦ **अनु. 15 (4)**

➢ OBC, ST, ST, SC महिला वर्ग के लिए शिक्षा में आरक्षण

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ इस अनुच्छेद को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया।

➢ यह अनुच्छेद चम्पाकम दोइराजन बनाम मद्रास वाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के बाद लागू हुआ।

✦ **अनु. 15 (5)**

➢ निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े और कमजोर वर्गो के लिए विशेष उपबन्ध

➢ 93वां संविधान संशोधन 2005 से जोड़ा गया है।

✦ **अनु. 15 (6)**

➢ इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया।

➢ सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो (EWS) के लिए विशेष कानून बना सकती है तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो हेतु निजी शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।

✦ **अनु. 16: लोक नियोजन में अवसरों की समानता का उपबंध।**

✦ **अनु. 16 (1)**

➢ सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर।

✦ **अनु. 16 (2)**

➢ राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल निवास आदि के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा।

✦ **अनु. 16 (3)**

➢ संसद निवास को लेकर कानून का निर्माण कर सकती है।

✦ **अनु. 17-अस्पर्शता या छूताछूत का अन्त**

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ इस अनुच्छेद को महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहा जाता है।

➢ छूआछूत को लेकर भारत ने सर्वप्रथम 1955 भारतीय छूआछूत (अस्पर्शता) प्रतिरोध अधिनियम बनाया। जिसमें यह प्रावधान था वृद्धि कोई व्यक्ति छूआछूत जैसे भेदभाव करता है तो उसका छः माह की सभा और 500/- का जुर्माना दोनों हो सकता है।

✦ **अनु. 18-उपाधियों का अन्त**

✦ **अनु. 18 (i)**

➢ राज्य शिक्षा, सेना के अलावा उपाधि नहीं देगा।

✦ **अनु. 18 (ii)**

➢ कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा।

✦ **अनु. 18 (iii)**

➢ कोई व्यक्ति जो सरकारी पद पर है और भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही उपाधि लेगा।

✦ **अनु. 18 (iv)**

➢ कोई भी व्यक्ति जो सरकारी पद पर और विदेशी राज्य उपाधि देना चाहता है तो भी राष्ट्रपति से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

✦ **अनु. 18 (4)**

➢ भारतीय हो या विदेशी, भारत में लाभ का पद धाारण करता है तो विदेशी राज्य से उपहार, भेंट, उपलब्धि या पद, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ 1954 में स्थापित 'पदम भूषण', 'पद्म विभूषण' एवं 'पदम श्री' को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पुरस्कार माना गया है, न कि उपाधि। हालांकि, पुरस्कार व्यक्ति के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इसके प्रयोग पर मनाही है।

➢ अनु. 18 निदेशात्मक है आदेशात्मक नहीं है।

➢ इसका उल्लघंन करने पर दण्डनीय प्रावधान नहीं है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 से 22 तक)

➢ अनु. 19 (1) छः स्वतंत्रताएं (44वां संशोधन 1978 से पहले 7 थी)- ये स्वतंत्रताएँ केवल भारतीय नागरिकों (Citizens) को है।

➢ 19 (1)(a) - वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

➢ 19(1)(b) - शांतिपूर्ण व निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता ।

➢ 19(1)(c) - संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया।

➢ 19 (1) (d)- भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अंबाध विचरण की स्वतंत्रता

➢ 19 (1) (e) - भारत के किसी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता

➢ 19 (1) (f) - सम्पति अर्जन की स्वतंत्रता- इसे 44वें संविधान संशोधन-1978 द्वारा 20.06.1979 को समाप्त कर दिया गया।

➢ 19(1)(g) - वृति, आजीविका, कारोबार की स्वतंत्रता

➢ अनुच्छेद-19(1) में वर्णित स्वतंत्रताएँ आयरलैण्ड के संविधान (1937) व डेन्जिंग स्वतंत्र नगर का संविधान (1922) से प्रेरित है ।

13 नीति निदेशक तत्व

नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
36.	राज्य की परिभाषा
37.	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना।
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत
39.A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन
41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता
42.	न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान।
43.	कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि
43.A	उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता
43.B.	सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
44.	नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
45.	बाल्यावस्था पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
46.	अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
47.	पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने सम्बन्धी सरकार का कर्त्तव्य।
48.	कृषि एवं पशुपालन का संगठन
48.A	पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा
49.	स्मारकों, तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
50.	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण
51.	अंतर्राष्ट्रीय शाति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन

✦ **नीति निदेशक तत्व (भाग 4 अनुच्छेद 36-51)**

नीति निदेशक तत्व

- भाग → 4
- अनु. → 36 - 51
- किस देश से लिया गया। → आयरलैण्ड
- उद्देश्य → सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की स्थापना करना
- प्रकृति → सकारात्मक
- प्रभाव → महात्मा गाँधी के विचारों का।

➢ भारतीय संविधान में राज्यो को ये सुनिश्चित किया गया है कि वह राज्य के विकास के लिए लोककल्याणकारी नीतियां बना सकता है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है।

➢ नीति निदेशक तत्व की सर्वप्रथम अवधारणा T.H. ग्रीव नामक विज्ञान ने दी थी।

➢ 1935 के अधिनियम में 'इन्स्ट्रूमेंट ऑफ इन्स्ट्रेकशन' (अनुदेश प्रपत्र) था, यही आगे जाकर नीति निर्देशक तत्व बना।

➢ तेज बहादुर सप्रु समिति की सिफारिश पर नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं।

✦ **नीति निदेशक तत्त्व से संबंधित विद्वानों के विचार:**

➢ **डॉ. अम्बेडकर** के अनुसार, 'नीति निदेशक तत्वों को 'भारत का सामाजिक व आर्थिक घोषणा पत्र' कहा है। 'ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएँ हैं। इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है।'

➢ **डॉ. अम्बेडकर** के अनुसार, 'यदि कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो अगले चुनाव में उसे कारण बतना होगा।'

➢ **बी.एन. राव** के अनुसार, 'व्यक्ति के दो प्रकार के अधिकार है- 1. न्यायोचित अधिकार - मूल अधिकार 2. गैर न्यायोचित अधिकार - नीति निर्देशक तत्व'

शिक्षा से संबंधित नीति निदेशक तत्व

- ज्ञात रहे कि नीति निदेशक तत्त्वों में तीन अनुच्छेदों में शिक्षा का उल्लेख आता है-

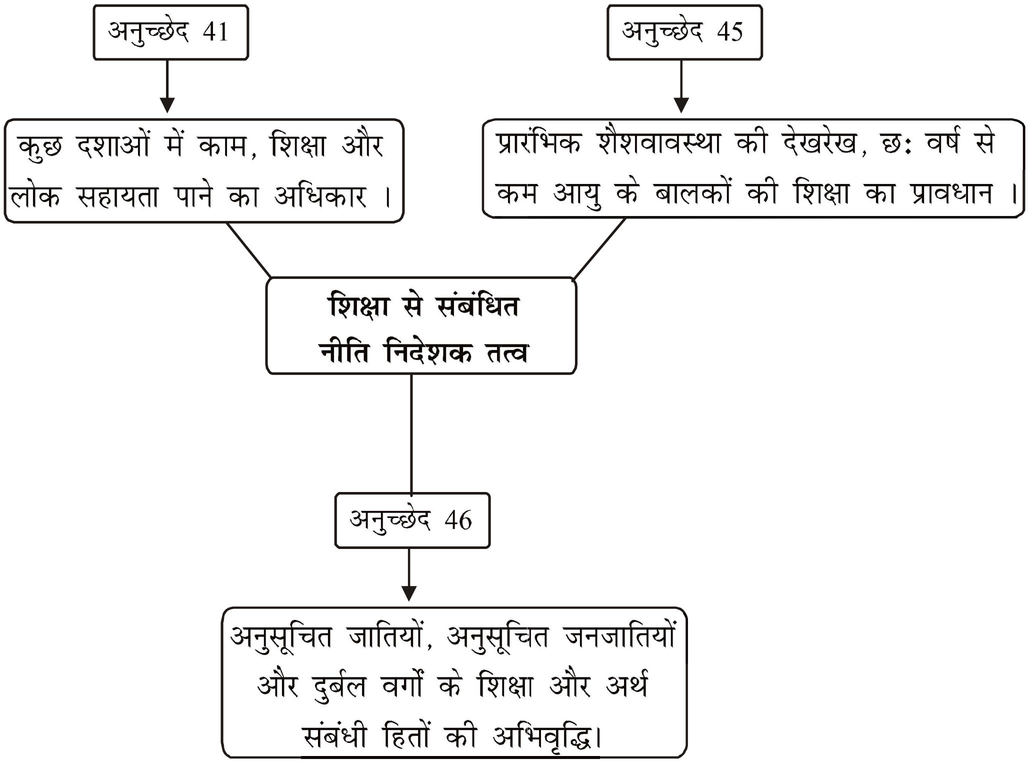

☞ **क्या आप जानते हैं?**
- **भाग - 4** के अलावा संविधान में वर्णित निदेशक तत्व
- **अनुच्छेद 335**- एस सी व एस टी को संघ व राज्य सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता का धयान रखा जाये।
- **अनुच्छेद 350 (A)** - भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना।
- **अनुच्छेद 351** - हिन्दी भाषा का प्रचार- प्रसार करना।

नीति निदेशक तत्वों में संशोधन

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से इसमें अनुच्छेद 39 क, 43 क तथा 48 क को शामिल किया गया है।
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है।
- अनुच्छेद 45 में उल्लेख है, 'राज्य प्रारंभिक शैशव की देख-रेख और सभी बच्चों को उस समय तक जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिये प्रयास करेगा।' यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा-3 द्वारा (1 अप्रैल, 2010 से) प्रतिस्थापित किया गया।
- 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43ख में 'सहकारी समिति' शब्द को जोड़ा गया है।

नीति निदेशक तत्वों की आलोचना:

- नीति निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय नहीं हैं।
- नीति निदेशक तत्त्वों को भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोषित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पष्ट नहीं करता।
- नीति निदेशक तत्त्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य विवाद संघर्ष का कारण बन जाते हैं।
- नीति निदेशक तत्त्वों में सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे- समान नागरिक संहिता।
- नीति निदेशक तत्त्वों का महत्त्व राज्य के लिये नैतिक शिक्षा की तरह है, जिनसे वह निदेशित होते हैं लेकिन बाधित नहीं।
- **प्रोफसर K.T. शाह** ने 'नीति निदेशक तत्व एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है।'

14 मौलिक कर्त्तव्य

मौलिक कर्तव्यः

मौलिक कर्त्तव्य

- भाग → 4 क
- अनु. → 51 'क'
- किस देश से लिया गया। → सोवियत संघ से
- मूल संविधान में → 10
- वर्तमान में → 11

- मौलिक कर्त्तव्य वाद योग्य होते है। (न्यायालय द्वारा परिकल्पीत नहीं होते है।)
- मौलिक कर्त्तव्य का उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान नहीं है।
- मौलिक कर्त्तव्य प्रारम्भ में संविधान का भाग नहीं थे।
- सरदार स्वर्णसिंह समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें संविधान में जोड़ा गया।
- मौलिक कर्त्तव्य विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है।

> ☞ **क्या आप जानते है:**
> - मूल संविधान में मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा इन्हें संविधान में स्थान दिया गया। सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया।

✦ **मौलिक कर्त्तव्यः**

1. **अनु. 51 (1) क/a** - संविधान का पालन करे इसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे।
2. **अनु. 51 (1) ख/b** - स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्ररित करने वाले उच्च आदर्शो को अपने हृदय में संजोय रखना।
3. **अनु. 51 (1) ग/c** -भारत की सम्प्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. **अनु. 51 (1) घ/d** -देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर देश के बलिदान के लिए तैयार रहना।
5. **अनु. 51 (1) ड़/e** -भारत के सभी लोगों के समरसता, भारत की समानता बंधुत्व की भावना का विकास करना तथा धर्म, तेलग भाषा आदि के महत्व पर भेदभाव रोकना तथा ऐसी प्रयासों का अन्त करना जो किसी के विरूद्ध हो। जैसे- घूंघट प्रथा।

- **अनु. 51 (1) च/f** -हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक गौरवशाली परम्परा को बनाए रखना।
- **अनु. 51 (1) छ/g** -हमारे देश की प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना।
- इसके अन्तर्गत आने वाले वन, झील, नदी और वन्यजीवों की रक्षा करना।
- **अनु. 51 (1) ज/h** -वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानावर्जन की सुधार की भावना रखना।
- **अनु. 51 (1) झ/i** -सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करना तथा हिंसा को दूर करना।
- **अनु. 51 (1) ञ/j** -व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में बढ़-बढ़ कर भाग लेना और नई-नई उँचाइयों को छू लेना।
- **अनु. 51 (1) ट/k** -6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को शिक्षा दिलाने का कर्त्तव्य माता पिता का होगा।

> ☞ **क्या आप जानते हैं?**
> - 86वां संविधान संशोधन 2002/03 के तहत 11वां मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा गया था।

✦ **सरदार स्वर्ण सिंह समिति व मूल कर्तव्य** -

- इस समिति की नियुक्ति कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकान्त बरूआ द्वारा 26 फरवरी 1976 को की गई थी। इसमें 12 सदस्य थे-
- सदस्य- सरदार स्वर्ण सिंह (सभापति), ए. आर. अन्तुले (सदस्य सचिव), एस. एस. रे., रजनी पटेल, एच आर गोखले, वी ए सैयद मुहम्मद, वी एन गाडगिल, सी एम स्टीफन, डी पी सिंह, डी सी गोस्वामी, वी वी साठे व वी एन मुखर्जी
- इस समिति ने अगस्त 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका पूरा नाम या 'भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधनों पर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट।'

→ इस समिति ने आठ मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया था-

1. संविधान तथा विधियों का पालन व आदर करना।
2. देश की प्रभुता, एकता, अखण्डता बनाये रखना ।
3. संविधान में स्थापित लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना।
4. देश की रक्षा करना।
5. साम्प्रदायिकता के विरूद्ध संकल्प लेना ।
6. नीति निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन में सहायता करना व लोगों के सामान्य हित में अभिवृद्धि करना, जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय के हितों में सहायक हो सके।
7. हिंसा को दूर करना व सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा व रक्षा करना।
8. देश की विधि द्वारा जरूरी करों का भुगतान करना।

15 संविधान संशोधन

संविधान संशोधन की प्रक्रिया (Procedure of Amendment of the Constitution)

- भारतीय संविधान में संशोधन तीन प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।

संविधान संशोधन		
साधारण बहुमत से (Simple Majority)	विशेष बहुमत से (Special Majority)	संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम-से-कम आये राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमधंन (Ratification) से पारित होने वाले विधेयक
• ऐसे संशोधन के लिये दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। • ऐसे उपबंधों का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं माना जाता है। • जैसे, अनुच्छेद- 2, 3, 4, 75, 97, 105(3), 106, 125, 148 आदि।	• जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढाँचे (Federal Structure) से है, उन्हें छोड़कर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 'संशोधन' माने जाने वाले शेष सारे उपबंध इसी वर्ग में शामिल है। • इसमें विधेयक को सदन की कुल संख्या का बहुमत हासिल होना चाहिये एवं प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई का समर्थन प्राप्त होना चाहिये।	• इस प्रकार के संशोधन का संबंध संघात्मक ढाँचे से है। • अनुच्छेद 368(2) के अनुसार इसे दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है एवं कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प (Resolution) पारित करके उसे अनुसमर्थन (Ratification) दिया जाए। • जैसे, अनुच्छेद- 54, 55, 73, 162, 241 आदि में किया जाने वाला संशोधन।

❒ संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368)

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।
- जिससे संविधान गतिशील और परिवर्तित हो जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने की जो पद्धति इस अनुच्छेद में दी गयी है उससे भारतीय संविधान कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण है।

➢ भारतीय संविधान में संशोधन करने की निम्न प्रक्रिया दी गयी है-

* साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन
* विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन
* विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से संविधान संशोधन

- भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है बल्कि साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है और इस प्रकार से किये गये संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उदाहरणार्थ राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं, क्षेत्र तथा राज्यों में विधान परिषद् को गठित करना या उसे समाप्त करना आदि। इस प्रकार का संशोधन करने के लिए कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और एक सदन द्वारा पारित किये जाने के बाद संशोधन विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है।
- विशेष बहुमत द्वारा किये गये संशोधन को संविधान संशोधन कहा जाता है। इस प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है।

➢ भारतीय संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए वह प्रक्रिया अपनायी जाती है जो कठोर संविधान की प्रमुख विशेषता होती है। इसके अंतर्गत संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ आधे से अधिक राज्य विधान सभाओं का भी अनुमोदन चाहिए जैसे-

→ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के गठन तथा क्षेत्राधिकार
→ संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
→ संघ तथा राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
→ सातवीं अनुसूची में वर्णित विषयों की प्रविष्टि
→ संविधान संशोधन

- संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है लेकिन संसद की यह शक्ति असीमित नहीं है बल्कि संविधान के आधारभूत ढांचे से सीमित है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात् राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से मना नहीं कर सकते।

16 संघ (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका)

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का उपनाम

- भारत का प्रथम नागरिक
- गणराज्य का सर्वोच्च पद
- तीनों सेनाओं का अध्यक्ष
- संवैधानिक अध्यक्ष
- कार्यपालिका अध्यक्ष
- नाममात्र अध्यक्ष

राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद

क्र.सं.	अनुच्छेद	विषयवस्तु
1.	**अनुच्छेद 52**	भारत के राष्ट्रपति
2.	**अनुच्छेद 53**	संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
3.	**अनुच्छेद 54**	राष्ट्रपति का चुनाव (निर्वाचन मण्डल)
4.	**अनुच्छेद 55**	राष्ट्रपति के चुनाव का पद्धति
5.	**अनुच्छेद 56**	राष्ट्रपति का कार्यकाल / पदावधि
6.	**अनुच्छेद 57**	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
7.	**अनुच्छेद 58**	राष्ट्रप्रति चुने जाने के लिए योग्यता
8.	**अनुच्छेद 59**	राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
9.	**अनुच्छेद 60**	राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण
10.	**अनुच्छेद 61**	राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
11.	**अनुच्छेद 62**	राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय
12.	**अनुच्छेद 65**	उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना
13.	**अनुच्छेद 71**	राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले
14.	**अनुच्छेद 72**	राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
15.	**अनुच्छेद 74**	मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना।
16.	**अनुच्छेद 75**	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसे - नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि।
17.	**अनुच्छेद 76**	भारत का महान्यायवादी
18.	**अनुच्छेद 77**	भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन के नियम बनाना
19.	**अनुच्छेद 78**	राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का कर्तव्य
20.	**अनुच्छेद 85**	संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना
21.	**अनुच्छेद 111**	संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना
22.	**अनुच्छेद 112**	संघीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)
23.	**अनुच्छेद 123**	राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
24.	**अनुच्छेद 143**	राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति

2. फिर प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है।

➢ दूसरा सदन सर्वप्रथम राष्ट्रपति पर लगाये गये आरोंपों की जांच करता या करवाता है।

(i) जांच कौन करता हैं?

➢ दूसरा सदन (आरोप लगाने वाला सदन नहीं) अथवा उसके द्वारा नियुक्त या अभिहित न्यायालय/अधिकरण या निकाय।

(ii) जांच करने वाले सदन का पीठासीन अधिकारी: सम्बन्धित सदन का सभापति/अध्यक्ष होता है।

➢ जांच प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्य से अपना पक्ष रख सकता है।

➢ अगर जांच में राष्ट्रपति पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देता है, तो संकल्प पारित की तिथि से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है।(महाभियोग-मनोनीत सदस्य भी भाग लेते है।)

➢ आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया गया है।

➢ पेंशन और अन्य सुविधाओं का अधिकार केवल अपने पद की अवधि पूर्ण करने वाले अथवा त्याग-पत्र देने वाले राष्ट्रपति को ही प्राप्त होगी, न कि ऐसे व्यक्ति को जिसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया गया हो।

✍ **नोट:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अलावा अनुच्छेद 56 में भी महाभियोग का उल्लेख मिलता है।

✦ **अनुच्छेद 62 : राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि।**

1. राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही चुनाव पूर्ण कर लिया जाएगा।
2. राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो छः माह के अन्दर चुनाव कराना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नये राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए न होकर पूरे पाँच वर्ष के लिए होता है।

✦ **राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार:**

➢ **अनुच्छेद-361** में राष्ट्रपति व राज्यपाल को प्राप्त विशेषाधिकारी व उन्मुक्तियाँ (छूट) है, जो विधि के समक्ष समता यानि अनुच्छेद- 14 का अपवाद है।

➢ **अनु. 361** के विशेषाधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है लेकिन यह विशेषाधिकार उपराज्यपाल को प्राप्त नहीं है।

● अनु. 380 में अन्तरिम राष्ट्रपति का उल्लेख था।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्त्तव्य/कार्य

राष्ट्रपति की शक्तियां

- **सामान्य/शांतिकालीन शक्ति**
  1. कार्यपालिका शक्तियां
  2. विधायी शक्तियां
  3. वित्तीय शक्तियां
  4. न्यायिक शक्तियां
  5. कूटनीतिक शक्तियां
  6. सैन्य शक्तियां
- **आपातकालीन शक्तियां**
  - → राष्ट्रीय आपातकाल (अनु. 352)
  - → राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)
  - → वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

✦ कार्यपालिका शक्तियाँ:

➢ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को कार्यकारी शक्ति भी कहा जाता है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद आते हैं, जो इस प्रकार हैं- अनुच्छेद 53, अनु. 73, अनु. 75, अनु. 76, अनु. 77, अनु. 78, अनु. 155।

➢ **अनु. 53:** संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा।

➢ **अनु. 73:** संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना। (संसद विधि के द्वारा)

वे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी रहे

- शंकरदयाल शर्मा
- के. आर. नारायण
- कृष्ण कांत
- मोहम्मद अंसारी
- एस. राधाकृष्णन्
- डॉ. जाकिर हुसैन
- वी. वी. गिरी
- आर. वेकटरमन

➢ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन तथा मोहम्मद हामिद अंसारी (2007-17) दो बार उपराष्ट्रपति बने। दो उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरी व आर. वैंकटरमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति बन गये।

➢ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र व्यक्ति है जो उच्चतम न्यायाल के मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति तीनों पद पर कार्य कर चुके हैं। जस्टिस हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में उपराष्ट्रपति।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➢ उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है।

➢ भारतीय संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है।

➢ गोपाल स्वरूपपाठक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो राज्यपाल रहे।

➢ भारत के पांच उपराष्ट्रपति राजदूत भी रहे-
1. राधाकृष्णन 2. वी. वी. गिरी 3. के. आर. नारायण 4. हामिद अंसारी 5. जाकिर हुसेन

प्रधानमंत्री

अनुच्छेद	विवरण
अनु. 74	मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना।
अनु. 75	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान
अनु. 77	भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन
अनु. 78	प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएँ प्रदान करने संबंधी कर्त्तव्य।

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ प्रधानमंत्री का पद **ब्रिटेन** देश से लिया गया है।

➢ भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जिनमें राष्ट्रपति **नाममात्र** का प्रधान होता है जबकि प्रधानमंत्री **वास्तविक** प्रधान। राष्ट्रपति **'राज्य का प्रधान'** जबकि प्रधानमंत्री **'शासन का प्रधान'** होता है ।

➢ हालांकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है केन्द्रीय कार्यपालिका का पर भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति की संविधान में जो उल्लेखित शक्तियाँ हैं, उनका व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है।

✦ प्रधानमंत्री से संबंधित विद्वानों के विचार:

✦ **डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार**

1. "यदि हमारे संविधान के अन्तर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है न कि भारत का राष्ट्रपति"
2. प्रधानमंत्री सूर्य की भांति है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं।

➢ **क्रॉसमैन के अनुसार** - संसदीय व कैबिनेट सरकार को 'प्रधानमंत्रीय सरकार' कहते हैं।

➢ **लॉर्ड मार्ले के अनुसार**- प्रधानमंत्री 'समानों में प्रथम' है।

➢ **रैम्जे म्योर के अनुसार** इसे "राज्य के जहाज का मल्लाह" कहा जाता है।

➢ **सर विलियम हार्टकोट के अनुसार**- प्रधानमंत्री तारों के बीच चन्द्रमा है।

➢ **आइवर जेनिंग्स के अनुसार**- "प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं।"

➢ **एच.जे. लॉस्की के अनुसार** - वह केबिनेट के जीवन व मृत्यु का केन्द्र बिन्दु है।

✦ प्रधानमंत्री से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद:

➢ संविधान के केवल तीन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री पद का वर्णन है जो इस प्रकार हैं- अनुच्छेद - 74, 75 व 78

➢ **अनुच्छेद 74** - राष्ट्रपति कों सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसक प्रमुख प्रधानमंत्री होगा।

➢ **अनुच्छेद 75** - अनु. 75(1) के तहत् प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।

➢ **अनुच्छेद 75 (1) क** : इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 जोड़ा गया है।

➢ इसके तहत केन्द्रीय मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया।

संसद

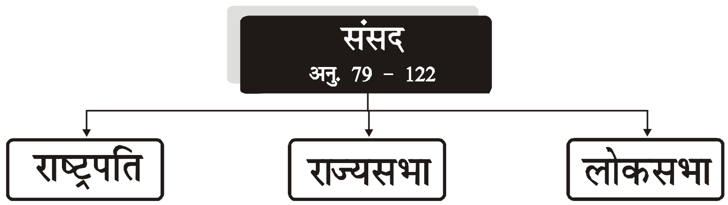

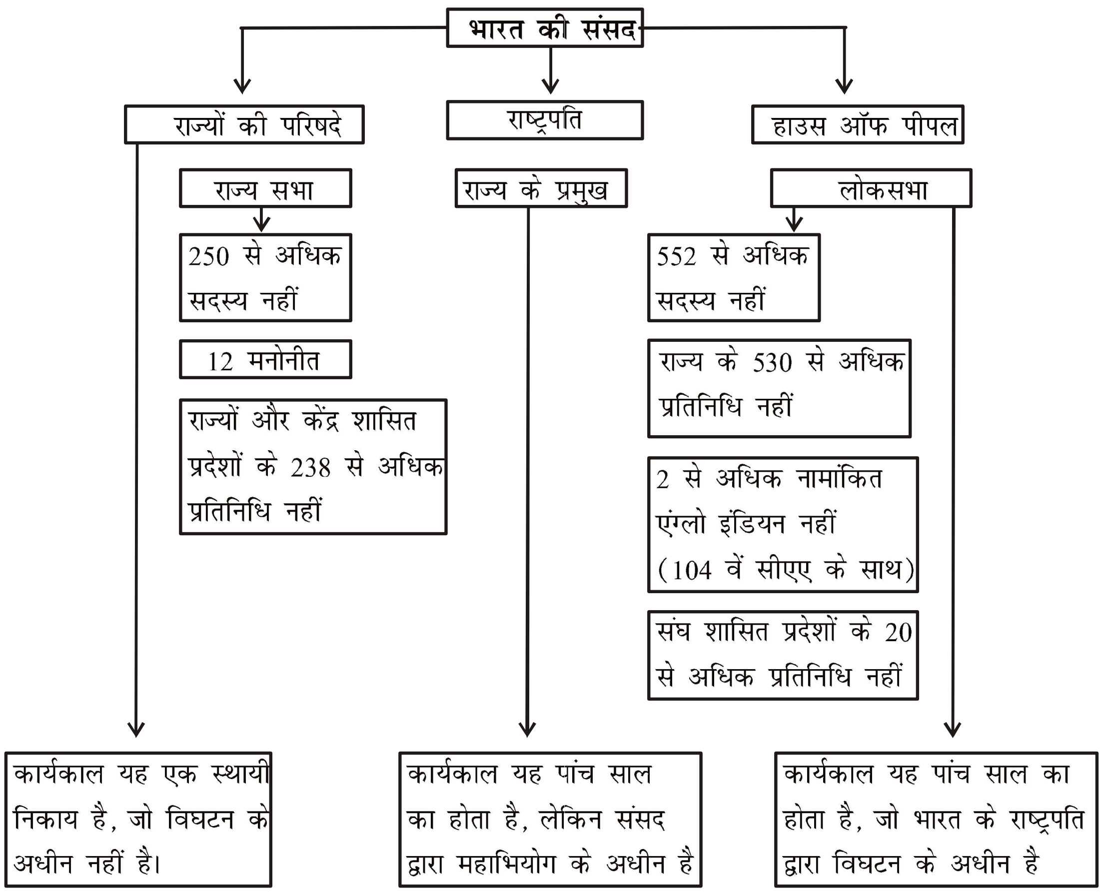

- **संसद** – संसद का उल्लेख संविधान के **भाग -5**, **अध्याय 2** तथा **अनु. 79 से 122** तक मिलता है। जिसको वर्तमान समय में संसद, व्यवस्थापिका व विधायिका के नाम से जाना जाता है।

- **अनुच्छेद 79** – **संसद का गठन**

- भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो संसद के तीन अंग होते है–

क्या आप जानते है?

- राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, सदस्य नहीं और ना ही संसद की बैठकों में भाग लेता है।
- भारत एवं ब्रिटेन के विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति, विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होता है।

न्यायपालिका

उच्चतम न्यायालय

अनु.	विवरण
124	उच्चतम न्यायालय
124 (1)	उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन।
124 (2)	न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
124 (3)	योग्यताएं
124 (4)	पद से हटाना।
124 (5)	न्यायधीशों को हटाने की प्रक्रिया
124 (6)	शपथ का प्रावधान
124 (7)	सेवा शर्तों का प्रावधान
125	न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि।
126	कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
127	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति।
128	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।
129	अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय।
130	उच्चतम न्यायालय का स्थान
131	उच्चतम न्यायालय का (आरंभिक) क्षेत्राधिकार।
132	उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
133	सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
134	उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार।
134ए	उच्चतम न्यायलय में अपील के लिए प्रमाण पत्र।
135	उच्चतम नयायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग।
136	उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेश याचिका।
137	उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा।
138	क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना।
139	कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति।
141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायायलों पर लागू होना।
143	राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति।
144	सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना।
145	न्यायालय के नियम इत्यादि।

पृष्ठभूमि

- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें 1 एक मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) व 3 अन्य न्यायाधीश थे।
- 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर, 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट (संघीय न्यायालय) की स्थापना की गई।
- इसके निर्णय के विरूद्ध ब्रिटेन की प्रीवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी।
- इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (मौरिस ग्वेसर) एवं 6 अन्य न्यायधीश हैं।

✦ **अनुच्छेद 124 (1) - उच्चतम न्यायालय का गठन**

- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, यानि कुल 34 न्यायाधीश। न्यायाधिशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है।
- 1950 के बाद न्यायाधीशों की संख्या में 6 बार वृद्धि की जा चुकी है।
- 26 जनवरी, 1950 को 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश कुल 8 थे।
- 1956 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 10 अन्य न्यायाधीश कुल 11 थे।
- 1960 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 13 अन्य न्यायाधीश कुल 14 थे।
- 1977 में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 17 अन्य न्यायाधीश कुल 18 थे।

राज्य विधानमण्डल

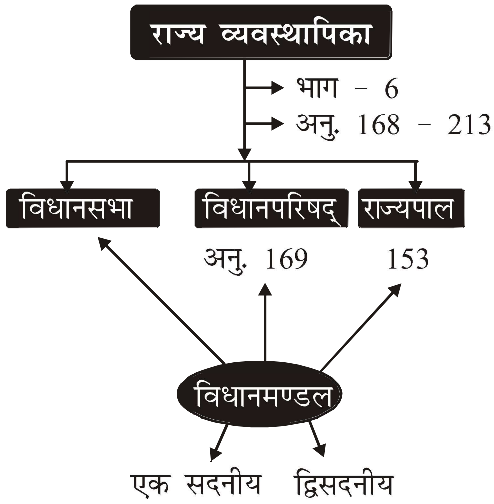

अनुच्छेद 168

- इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में विधानमण्डल का गठन किया जाता है। इसी के तहत राजस्थान के 22 रियासतों को मिलाकर राजस्थान विधानसभा का गठन किया गया।

अनुच्छेद 169

- विधानपरिषद् का गठन व उत्सादन (विलोप/समाप्त करना।
- विधानपरिषद् का गठन व उत्सादन करने की प्रक्रिया।
- विधानपरिषद् के गठन हेतु संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा जाता है संसद की अनुमति से राज्य में विधानपरिषद् का गठन व उत्सादन (विलोपन) दोनों हो सकते हैं।
- भारत में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात् विधानपरिषद्– **आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक (6 राज्यों में)**

क्या आप जानते है?

- जम्मू व कश्मीर में 2019 के कानून अधिनियम द्वारा विधान परिषद् समाप्त कर दी गई है।

विधानसभा

अनुच्छेद 170 **(संरचना व संगठन)**

- **अनुच्छेद 170 (1)** के तहत विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 व न्यूनतम 60 हो सकती है।
- **अनुच्छेद 170 (2)** : भौगोलिक आधार पर सभी निर्वाचन क्षेत्र इस आधार पर बनाये गये है कि जनंसख्या का अनुपात सभी निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग समान रहे।

क्या आप जानते है?

- विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में है। वर्तमान में कुल 200 विधानसभा सीटों में से 34 सीटें अनुसूचित जाति व 25 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
- राजस्थान की कुल लोकसभा सीटें 25 है, उसमें से 4 सीटें अनुसूचित जाति व 3 सीटें अनुसचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है।
- 140वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ा दिया गया।

- **अनुच्छेद 170 (3)** 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार, राज्य विधानसभा के लिए आवंटित सीटें वर्ष 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद पुनः निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया।

उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 214 : प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

☞ **क्या आप जानते हैं ?**

➢ भारत में चार राज्य ऐसे भी जहां पर उच्च न्यायालय नहीं है-

1. नागालैण्ड
2. गोवा
3. मिजोरम
4. अरूणाचल प्रदेश

अनुच्छेद 215 : प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।

➢ उच्च न्यायलय के निर्णय, कार्यवाही और कार्य लिखित रूप में होते है अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं क्योंकि यह अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूपमें मान्य होते है।

➢ उच्च न्यायलयों की अवमानना पर दण्ड का प्रावधान है (साधारण या आर्थिक अथवा दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है न्यायलया द्वारा)

☞ **क्या आप जानते है ?**

➢ उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 215) की तरह, उच्चतम न्यायलय भी एक अभिलेख न्यायलय है (अनुच्छेद 129)

अनुच्छेद 216 : उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे जिनकी संख्या समय-समय पर संसद निर्धारित करती है।

अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति—

➢ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति दो लोगों से परामर्श लेगा—

1. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति से
2. संबंधित राज्य के राज्यपाल से

➢ **अनुच्छेद 217 (1) :** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है।

➢ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है, कॉलेजियम (सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व दो वरिष्ठ न्यायाधीश) की सिफारिश पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके।

➢ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते है। निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात:

1. भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से।
2. संबंधित राज्य के राज्यपाल से।
3. संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से।

☞ **क्या आप जानते है?**

➢ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति उपरोक्त दो के परामर्श के साथ ही संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श लेगा।

➢ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु है तथापि कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बोधिल लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है।

➢ **कॉलेजियम प्रणाली:** शाब्दिक अर्थ 'सदस्यों का समूह' II जेजज केस (सुप्रीम कोर्ट एडवोकट्स ऑन रिकॉर्ड ऐसोसिएशन बनाम भारत संघ 1998) में कॉलेजियम का वास्तविक/वर्तमान स्वरूप सामने आया (1+ 4 अर्थात् उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) कॉलेजियम का कार्य उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानान्तरण सिफारिश करना।

➢ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसियन बनाम भारत संघ 1993 केस 'द्वितीय जजेज केस' कहलाता है।

➢ **अनुच्छेद 217 (2) :** इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है।

➢ वह भारत का नागरिक हो।

➢ भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो।

या

➢ वह किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

स्थानीय स्वशासन - पंचायती राज व नगरीय शासन

केन्द्र सरकार

↓

राज्य सरकार

↓

स्थानीय सरकार

↓

पंचायती राज (ग्रामीण)	नगरीय निकाय
↓	↓
(i) जिला परिषद	1. नगर निगम
(ii) पंचायत समिति	2. नगरपालिका
(iii) ग्राम पंचायत	3. नगर पंचायत

☞ **क्या आप जानते है?**

- परांतक प्रथम (चोल शासक) के उतरमेरूर अभिलेख में स्थानीय प्रशासन की जानकारी प्रधान की। जिसमें लिखा कि ग्राम सभाओं को उर कहा जाता है।
- वैदिक काल में पंचायत के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था जिसका उल्लेख अर्थववेद में मिलता है।
- बौद्धकाल में पंचायत का मुखिया ग्रामयोजक कहा जाता था।
- मौर्यकाल में पंचायत का मुखिया – ग्रामीक कहा जाता था।
- मुगलकाल में पंचायत का मुखिया मुकद्म कहलाता था।
- वर्तमान में पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है।

- आधुनिक ब्रिटिशकाल में स्थानीय स्वशासन बनाने का प्रथम प्रयास 1870 को लॉर्ड मैयो ने किया लेकिन प्रयास असफल रहा।
- 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया जो सफल रहा इसलिए लार्ड रिपन को **स्थानीय स्वशासन का पिता** कहा जाता था।
- भारत में पंचायत 1919 के अधिनियम के तहत माना जाता है।
- रिपन द्वारा लाये गये प्रस्ताव (1882) को **'स्थानीय स्वशासन का मेग्नाकार्टा'** कहा जाता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है।
- प्रथम पंचायती राज मंत्री– एस.के.डे
- भारत में पंचायती राज की शुरुआत 1959 में नागौर के बगदरी गांव से हुई। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे और पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे। (उद्घाटनकर्ता – पं. नेहरू)
- राजस्थान में प्रथम पंचायती राज चुनाव 1960 में संपन्न हुए।
- 1960–1970 के काल को पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है।
- जुलाई, 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने हेतु 64 वाँ संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका।
- 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।
- 73वां संविधान संशोधान लोकसभा में पारित हुआ – 22 दिसम्बर 1992
- 73वां संविधान संशोधान राज्यसभा में पारित हुआ – 23 दिसम्बर 1992
- 73वां संविधान संशोधान को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी– 20 अप्रैल 1993
- 73वां संविधान संशोधान लागू हुआ – 24 अप्रैल 1993(इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है।)

17 भारत की विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों से संबंध

☞ **क्या होती है विदेश नीति?**

➤ किसी भी देश की विदेश नीति वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हित और आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास करता है। विदेश नीति किसी देश का अन्य राष्ट्रों के प्रति व्यवहार होता है जिसे कई कारक प्रभावित करते है। विदेश नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रीय हित कितनी मात्रा में हुआ, राष्ट्रीय लक्ष्य कितना प्राप्त हुआ। यदि राष्ट्रीय हित कम होता है तो यह विदेश नीति की असफलता मानी जाती है।

✦ **अभिप्राय:**

➤ प्रत्येक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं स्थितियों के (परिप्रेक्ष्य में) संबंध में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करता है, उसे अभिव्यक्त करता है यही राष्ट्रनीति विदेश नीति कहलाती है।

☞ **क्या आप जानते हैं?**

➤ विदेश नीति का लक्ष्य परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है क्योंकि हम किसी देश की विदेश नीति का अध्ययन करते समय प्राय: उसकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक एवं घरेलू परिस्थितियां, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणो, बौद्धिक स्तर एवं बुद्धिजीवी वर्ग की वचनबद्धता के विदेश नीति विश्लेषण में गम्भीरतापूर्वक नहीं लेते हैं।

❖ विदेश नीति का अर्थ एवं परिभाषा:

1. **डॉ. महेन्द्र कुमार** के अनुसार- "विदेश नीति कार्यों की सोची-समझी दिशा है जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी सम्बन्धों में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।"
2. **लेग एवं मॉरीसन** के अनुसार- "विदेश नीति उद्देश्यों का वह समूह है जो एक राज्य, अन्य राज्यों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में लागू करता है। यह उन प्रविधियों एवं तौर-तरीकों का समूह है जो उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है।"
3. **वाल्टर लिपमैन के अनुसार**- "विदेश नीति राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं एवं राष्ट्र शक्ति के मध्य संतुलन लाने के प्रयास की संज्ञा देती है।"
4. **प्रो. ब्रुकिन्स** के अनुसार, "विदेश नीति एक जटिल एवं गतिशील राजनीतिक मार्ग है जिस पर कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के प्रसंग में चलता है।"
5. **नार्मल हिल** के अनुसार, "विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हित को बढ़ाने के लिये किये जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है।
6. **पैडलफोर्ड तथा लिंकन** के अनुसार, "विदेश नीति उस प्रक्रिया का मुख्य तत्व है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने विशेष लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को ठोस कार्य दिशा देते हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा बनाये रखने का यत्न करते हैं।"
7. **मॉडल्सकी** के अनुसार, "विदेश नीति उन गतिविधियों की व्यवस्था है जो समुदायों द्वारा अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने एवं स्वयं भी गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुरूप ढालने के लिए विकसित की गई हैं"
8. **एण्डरसन एवं क्रिस्टल** के अनुसार, "विदेश नीति, नीति के सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करती है जिसके द्वारा किसी राज्य के आचरण को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा एवं पुष्टिकरण करता है।"

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

➤ किसी भी देश की विदेश नीति एक विशेष आंतरिक एवं बाहरी वातावरण के स्वरूप द्वारा काफी हद तक निर्धारित होती है। इसके अतिरिक्त उसका इतिहास, विरासत, व्यक्तित्व, विचारधाराएं, विभिन्न संरचना आदि का प्रभाव उस पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के निर्धारण एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन में भी इन्हीं बहुमुखी तत्वों का योगदान रहा है।

➤ भारत की विदेश नीति की समझ एवं आकलन हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं स्वाधीनता संग्राम के इतिहास पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। इस काल में होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर ही स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का विकास हुआ है। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की जड़ें उन प्रस्तावों व नीतियों में ढूंढी जा सकती है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी स्थापना के पश्चात् के 62 वर्षों (1885-1947) में महत्वपूर्ण विदेश नीति के विषयों पर अपनाई थी। यह सत्य है कि पराधीन भारत की विदेश नीति का निर्माण 1885 में स्थापित इंडिया हाउस, लंदन में होता था।

➤ अंग्रेज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन फिर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का दर्जा प्राप्त कर चुका था तथा कई विषयों पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं के न केवल सकारात्मक परिणाम निकले, बल्कि स्वतंत्र भारत की नीतियों हेतु ठोस आधार भी तैयार हो गया था। इसी आधार पर पराधीन भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी प्राप्त होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप ही भारत संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का 1945 में प्रारंभिक सदस्य बन सका।

18 संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)

- **संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है:** संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत् विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली-भांति कार्यान्वयन करना शामिल है।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर्श वाक्य - 'स्वस्थ ग्रह पर शांति, गरिमा और समानता'।**
- **UNO की भाषा:** चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसिसी, रूसी (ये चारों भाषाएं UNO की स्थापना के समय स्वीकृत थी) फिर 1973 में अरबी व स्पेनी को मान्यता दी गई।
- **कामकाजी भाषा** - अंग्रेजी व फ्रेंच है।
- **संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिह्न** - 'दुनिया का नक्शा, जिसके चारों ओर जैतून की पत्तियां है जो यह पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती है।'

> ☞ **क्या आप जानते हैं?**
> - संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिह्न - 'ओलिवर लिंकेन लुडक्विस्ट' ने 1945 में तैयार किया। जबकि 20 अक्टूबर 1947 को महासभा के प्रस्ताव के द्वारा UNO के झंडे को मान्यता मिली।

UNO के उत्पत्ति के चरण

UNO के उद्भव चरण/सोपान
- प्रथम चरण- इटंरअलाइड सम्मेलन
- द्वितीय- अटलांटिक चार्टर
- तृतीय- वांशिगटन सम्मेलन
- चतुर्थ- मास्को व तेहरान सम्मेलन
- पंचम- वाल्टा सम्मेलन
- षष्ठम- सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन

1. **इंटरअलाइड सम्मेलन** - यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का पहला कदम था जिस पर 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षर हुए।
2. **अटलांटिक चार्टर** - 1941 (August) फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट व चर्चिल के मध्य हस्ताक्षरित इस चार्टर में सुन्दर व सुनहरे वैश्विक भविष्य से सम्बंधित 8 सिद्धांत थे।

> ☞ **क्या आप जानते हैं?**
> - **इसके दस्तावेज पर समुद्र (SomewhereAt sea) Price of Wales** नामक जहाज पर बैठक के दौरान हस्ताक्षर किये गये। इसलिए अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज पर फ्रेंकलिन डी. रूजवेल्ट व चर्चिल के मध्य 8 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर हुए।

3. **वांशिगटन सम्मेलन** Jan, 1942 (U.S.A) U.S.A., U.K., USSR, China आदि 26 मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में UNO की घोषणा की गई। इस घोषणा पर दिसम्बर, 1943 तक 51 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। यही राष्ट्र बाद में संस्थापक सदस्य कहलाए। एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की स्वीकृति।
- F.D. रूजवेल्ट ने UNO नाम दिया।
4. **तेहरान सम्मेलन** - 1943
- रूजवेल्ट, स्टालिन व चर्चिल के मध्य।
- U.N.O. सदस्यता संबंधी निर्णय।
5. **याल्टा सम्मेलन** (क्रीमिया-रूस) - फरवरी, 1945 (रूजवेल्ट + स्टालिन + चर्चिल) महत्वपूर्ण निर्णय- 5 स्थायी सदस्य + स्थायी सदस्यों को veto power)